मौलिक अधिकार

मौलिक अधिकार || Fundamental Rights

भाग || Part - 3 (Article - 12-35)

अधिकार :-

व्यक्ति को राज्य द्वारा प्रदान की गई गारंटी जो की व्यक्ति द्वारा समर्पित उसकी स्वतंत्रता के बदले प्रदान की गई है।

अधिकारों के प्रकार

प्राकृतिक अधिकार :-

- ☞ प्राकृतिक अधिकार प्रकृति के द्वारा मानव और पशु दोनो को प्रदान किए जाते है।
- ☞ प्राकृति अधिकारों का जनक जॉन लॉक है।
- ☞ इन अधिकारों में बोलने, सुनने, देखने इत्यादि आते हैं।

Right :-

A guarantee provided by the state to the individual in exchange for his freedom devoted by the individual.

Types of Rights

Natural Rights :-

- ☞ Natural rights are granted by nature to both human beings and animals.
- ☞ The father of natural rights is John Locke.
- ☞ These rights include speaking, hearing, seeing, etc.

मानव अधिकार

- मानव अधिकार विश्व के सभी मानवी को UNO के मानव अधिकार चार्टर 1948 के द्वारा प्रदान किए जाते हैं।
- 10 Dec को मानव अधिकार दिवस मनाते हैं।
- UNO के मानव अधिकार चार्टर मे 30 अनुच्छेद और 01 प्रस्तावना है।

मौलिक अधिकार

- मौलिक अधिकार किसी देश के संविधान द्वारा वहाँ के नागरिकों और गैर नागरिको को राज्य - के विरुद्ध प्रदान किए जाते हैं।
- ये नागरिको के मौलिक मूलभूत विकास के लिए अत्यधिक आवश्यक होते है।

Human Rights

- Human rights are provided to all human beings in the world by the UNO's Human Rights Charter 1948
- Human Rights Day is celebrated on December 10.
- The UNO's Human Rights Charter has 30 articles and 01 preamble.

Fundamental Right

- Fundamental rights are provided by the Constitution of a country to its citizens and non-citizens against the state.
- These are very important for the fundamental development of the citizens.

कानूनी अधिकार

KHAN GLOBAL STUDIES
Most Trusted Learning Platform
KHAN SIR

- कानूनी अधिकार किसी देश के कानूनी तंत्र के द्वारा प्रदान किए जाते है इन अधिकारों की प्राप्ती के लिए सूनी कानून की स्थापित प्रक्रिया का पालन करना होता है, अत: इनकी प्राप्ती के लिए सीधे Supreme court और High Court नहीं जा सकते है।

Legal Rights

- Legal rights are provided by the legal system of a country, to get these rights, the established procedure of the sunni law has to be followed, so you cannot go directly to the Supreme Court and High Court for their realization.

विश्व में मौलिक अधिकारों का इतिहास || History of Fundamental Rights in the World

- बिट्रेन के राजा किंग जॉन ने 1215 ई. में सर्वप्रथम ब्रिटेन के लोगों को अधिकारों का लिखित दस्तावेज दिया जिसे मैग्नाकार्टा कहते है ।
- रोगना का अर्थ है सर्वोच्च और कार्टा का अर्थ है दस्तावेज अतः यह मैग्नाकार्टा मूल अधिकारों का सर्वोच्च लिखित दस्तावेज है। |
- King John of Britain first gave a written document of rights to the British people in 1215 AD, which is called Magna Carta.
- Rogna means supreme, and Carta means document. Hence, it is the highest written document of Magna Carta Fundamental Rights.

अमेरिका में मौलिक अधिकार का इतिहास || History of Fundamental Rights in America

- अमेरिका के संविधान में 04 March 1989 को मौलिक अधिकारों को जोड़ा गया मौलिक अधिकारों के अध्याय को Bill of Rights कहते है।
- अमेरिका का संविधान मौलिक अधिकारों के प्रावधान वाला विश्व का संविधान है।
- On March 4, 1989, fundamental rights were added to the United States Constitution
- The U.S. Constitution is the world's constitution with the provision of fundamental rights.

मौलिक अधिकार

फ्रांस में मौलिक अधिकार का इतिहास || History of Fundamental Rights in France

- फ्रांस में के संविधान में 26 Aug 1789 में मौलिक अधिकार जोड़े गए ।
- इस अध्याय को नागरिकों और मानवों के लिए अधिकारों का दस्तावेज कहते है। (Be charter of Rights for Citizens and men.)
- Fundamental Rights were added to the Constitution of France on 26 August 1789.
- This chapter is called a document of rights for citizens and human beings. (Be charter of Rights for Citizens and men.)
- फ्रांस में के संविधान में 26 Aug 1789 में मौलिक अधिकार जोड़े गए ।
- इस अध्याय को नागरिकों और मानवों के लिए अधिकारों का दस्तावेज कहते है। (Be charter of Rights for Citizens and men.)
- Fundamental Rights were added to the Constitution of France on 26 August 1789.
- This chapter is called a document of rights for citizens and human beings. (Be charter of Rights for Citizens and men.)

भारत में मौलिक अधिकार का इतिहास || History of Fundamental Rights in India

1. 1895 में स्वाराज विधेयक में सबसे पहले मौलिक अधिकारों की मांग रखी गई। (बाल गंगाधर तिलक)
2. 1925 में एनीवेसेंट के द्वारा कॉमन वेल्थ विल ऑफ नेशन में मौलिक अधिकारों की माँग रखी।
3. 1928 में मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट में मौलिक अधिकारों की लिखित मांग की।
4. 1931 के काँग्रेस - कराची अधिवेशन में सरदार पटेल ने मौलिक अधिकारों की मांग रखी।
5. In 1895, the Swaraj Bill first demanded fundamental rights. (Bal Gangadhar Tilak)
6. In 1925, the Ancient Nation demanded fundamental rights in the Common Wealth Bill of Nation.

7. In 1928, Motilal Nehru made a written demand for fundamental rights in the Nehru Report.
8. In the Congress-Karachi session of 1931, Sardar Patel demanded fundamental rights.
9. 1934 में सरकार की संयुक्त समिति ने मौलिक अधिकार को अस्वीकार कर दिया।
10. 1935 के भारत शासन अधिनियम में मौलिक अधिकारों का प्रावधान नहीं गया।
11. 1945 में तेज बहादुर सप्रू समिति ने मौलिक अधिकारों का विभाजन दो भागों में कर दिया।

1. मौलिक अधिकार

2. नीति निदेशक तत्व (DPSP)

- In 1934, the Joint Committee of the Government rejected the Fundamental Right.
- The Government of India Act of 1935 did not provide for fundamental rights. In 1945, the Tej Bahadur Sapru Committee divided the fundamental rights into two parts.
  1. Fundamental Rights
  2. Directive Principles of Policy (DPSP)

1. निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है? || Which of the following statements is correct?

भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट (1928) ने समर्थन किया था। || The Nehru Report (1928) supported the inclusion of fundamental rights in the Indian Constitution

भारत सरकार अधिनियम, 1935 ने मौलिक अधिकारों को प्रश्रय दिया था। || The Government of India Act, 1935 gave shelter to fundamental rights.

अगस्त प्रस्ताव, 1940 ने मौलिक अधिकार शामिल किए थे। || The August Resolution, 1940 incorporated fundamental rights.

क्रिप्स मिशन, 1942 ने मौलिक अधिकारों को प्रश्रय दिया था। || The Cripps Mission, 1942 gave shelter to fundamental rights.

उत्तर - (a)

Answer

व्याख्या - दिए गए कथनों में से कथन (a) सही है।

भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट (1928) ने समर्थन किया था। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारतीय संविधान के मसौदे को तैयार करने के लिए एक आठ सदस्यों वाली समिति बनाई गई थी। इस समिति ने प्रस्तावित संविधान का, जो प्रारूप तैयार किया, उसे ही 'नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। नेहरू रिपोर्ट में नागरिकता को परिभाषित करते हुए 19 मौलिक अधिकारों की सिफारिशें की गई थीं। इसमें 21 वर्ष की आयु पूरा करने वाले लोगों के लिए मताधिकार को भी शामिल किया गया था।

2. मौलिक अधिकार क्या हैं? || What are Fundamental Rights?

A. वाद योग्य || Controversial

B. अवाद योग्य || Worthy of controversy

C. लचीले || Flexible

D. कठोर || hard

उत्तर - (a)

Answer

व्याख्या - मौलिक अधिकार वाद योग्य हैं, किन्तु असीमित नहीं है। मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर व्यक्ति अनुच्छेद 32 के अन्तर्गत उच्चतम न्यायालय तथा अनुच्छेद 226 के अन्तर्गत उच्च न्यायालय की शरण ले सकता है। राज्य इन अधिकारों पर युक्तियुक्त प्रतिबन्ध लगा सकता है। संविधान के भाग III के अनुच्छेद 12-35 तक मौलिक अधिकारों का प्रावधान मिलता है।

3. मौलिक अधिकार || Fundamental Rights

(a) कभी भी निलम्बित नहीं किए जा सकते || Can never be suspended

(b) प्रधानमन्त्री के निर्देशों से निलम्बित हो सकते हैं || Can be suspended by the instructions of the Prime Minister

(c) राष्ट्रपति की इच्छा पर निलम्बित हो सकते हैं || Can be suspended at the will of the President

(d) आपातकालीन स्थिति में निलम्बित किए जा सकते हैं || Can be suspended in case of emergency

उत्तर - (a)

Answer

व्याख्या - मौलिक अधिकार आपातकालीन स्थिति में निलम्बित किए जा सकते हैं।

अनुच्छेद 358 एवं 359 में आपात की उद्घोषणा के प्रवर्तन की स्थिति में मौलिक अधिकारों के निलम्बन सम्बन्धी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 358, अनुच्छेद 19 में दिए गए मौलिक अधिकारों के निलम्बन से सम्बन्धित हैं, जबकि अनुच्छेद 359 अन्य मौलिक अधिकारों के निलम्बन (अनुच्छेद 20 एवं 21 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छोड़कर) से सम्बन्धित है। अनुच्छेद 358 के अनुसार, जब राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जाती है, तो अनुच्छेद 19 के द्वारा प्रदत्त 6 मौलिक अधिकार स्वतः ही निलम्बित हो जाते हैं, जबकि अनुच्छेद 359 राष्ट्रपति को आपातकाल में मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय जाने के अधिकार को निलम्बित करने के लिए अधिकृत करता है।

4. अधिकारों को मौलिक अधिकार कहा जाता है, क्योंकि || Rights are called fundamental rights, because

1. यह संविधान में उल्लिखित होता है। || It is mentioned in the Constitution.

2. यह प्रजातान्त्रिक होता है। || It is democratic.

3. यह लोक कल्याणकारी होता है। || It is public welfare.

4. यह व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक होता है। || It is necessary for personality development.

5. संसद इसके विरुद्ध कानून नहीं बना सकती। || Parliament cannot legislate against it.

कूट

(a) 1, 2 और 3

(b) 1, 3 और 5

(c) 1,4 और 5

(d) 2,3 और 5

KHAN SIR

उत्तर (c)

Answer

व्याख्या - अधिकारों को मौलिक अधिकार कहा जाता है, क्योंकि ये संविधान , में उल्लिखित होते हैं। ये व्यक्तिव विकास के लिए आवश्यक होते हैं। संसद इनके विरुद्ध कानून नहीं बना सकती। इन्हें संविधान द्वारा गारण्टी एवं सुरक्षा प्रदान की गई है, जो राष्ट्र के कानून का मूल सिद्धान्त है। मौलिक अधिकार व्यक्ति के बहुआयामी विकास (भौतिक, बौद्धिक, नैतिक एवं अध्यात्मिक) के लिए आवश्यक हैं। व्यक्तिगत स्वतन्त्रता के लिए इसे प्रभावी बनाया गया है। संसद मौलिक अधिकार के विरुद्ध कानून नहीं बना सकती है। ये अधिकार संसद के कानून निर्माण तथा क्रियान्वयन पर तानाशाही को मर्यादित करते हैं। अनुच्छेद 18 के अन्तर्गत न्यायालय ऐसी किसी भी विधि को शून्य घोषित कर सकता है, जो मौलिक अधिकारों से असंगत है। इसके अतिरिक्त मौलिक अधिकार प्रजातन्त्र की स्थापना के भूल किन्तु इनकी प्रकृति प्रजातान्त्रिक नहीं है। मौलिक अधिकार लोक कल्याणकारी नहीं, बल्कि अधिकारों की गारण्टी देते हैं।

5. मानव अधिकारों की अवधारणा का प्रमुख बल है || The key force of the concept of human rights is

(a) सम्पत्ति के अधिकार पर || On property rights

(b) समानता के अधिकार पर || On the right to equality

(c) धर्म के अधिकार पर || On the right to religion

(d) मानव होने के नाते मानव गरिमा पर || Being human is at human dignity

उत्तर (d)

Answer

व्याख्या - मानव अधिकारों की अवधारणा का प्रमुख बल मानव होने के नाते मानव गरिमा पर है। मानव अधिकारों से अभिप्राय मौलिक अधिकारों एवं स्वतंत्रता से है, जिसके सभी मानव प्राणी हकदार हैं। यह मानव होने के नाते गरिमापूर्ण जीवन जीने से सम्बद्ध है। अधिकारों एवं स्वतन्त्रताओं के उदाहरण के रूप में जिनकी गणना की जाती है, उनमें नागरिक और राजनीतिक अधिकार सम्मिलित हैं; जैसे- अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता व कानून के समक्ष समानता एवं आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों के साथ-ही-साथ सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने का अधिकार एवं शिक्षा का अधिकार आदि । भारत का संविधान मौलिक अधिकार प्रदान करता है, जिसका वर्णन संविधान के भाग ।।। में किया गया है, जिसमें धर्म की स्वतन्त्रता भी समाहित है।

संविधान की धाराओं में बोलने की आजादी के साथ-साथ देश के अन्दर एवं बाहर आने-जाने की भी आजादी दी गई है।

6. निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा सही है? || Which of the following statements are correct?

(a) अधिकार नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे हैं । || Rights are the claims of the state against the citizens.

(b) अधिकार वे विशेषाधिकार हैं, जो किसी राज्य के संविधान में समाविष्ट हैं। || Rights are the privileges that are enshrined in the constitution of a state.

(c) अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। || Rights are the claims of citizens against the state.

(d) अधिकार अधिकांश लोगों के विरुद्ध कुछ नागरिकों के विशेषाधिकार हैं। || Rights are the prerogative of a few citizens against most people.

उत्तर (c)

Answer

व्याख्या - दिए गए कथनों में से कथन (c) सही है। मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे के रूप में प्रदान किए गए हैं, जिनका मूल उद्देश्य राज्य की मनमानियों से नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा करना है। ये अधिकार देश में व्यवस्था बनाए रखने एवं राज्य के कठोर नियमों के विरुद्ध नागरिकों की आजादी की सुरक्षा करते हैं तथा विधानमण्डल के कानून के क्रियान्वयन पर तानाशाही को मर्यादित करते हैं।

7. निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मौलिक अधिकारों को 'हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता' कहा था? || Who among the following called fundamental rights 'a pledge to our people and an agreement with the civilized world'?

(a) अधिकार नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे हैं । || Rights are the claims of the state against the citizens.

(b) अधिकार वे विशेषाधिकार हैं, जो किसी राज्य के संविधान में समाविष्ट हैं। || Rights are the privileges that are enshrined in the constitution of a state.

(c) अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। || Rights are the claims of citizens against the state.

(d) अधिकार अधिकांश लोगों के विरुद्ध कुछ नागरिकों के विशेषाधिकार हैं। || Rights are the prerogative of a few citizens against most people.

उत्तर (c)

Answer

व्याख्या - डॉ. एस. राधाकृष्णन ने कहा था कि "मौलिक अधिकार हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया एक समझौता है। "

डॉ. एस. राधाकृष्णन का मानना था कि हमें राज्य के अतिक्रमण के विरुद्ध मानवीय आत्मा की स्वतन्त्रता की रक्षा करनी चाहिए । आर्थिक स्थितियों में सुधार के लिए राज्य विनियमन आवश्यक है, इसे मानवीय भावना की कीमत पर नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने संविधान सभा में कहा था, यह घोषणा जो हम आज करते हैं, हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा और सभ्य दुनिया के साथ एक समझौते की प्रकृति की है।

8. भारतीयों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? || How many fundamental rights do Indians have?

(a) नौ || 9

(b) दस || 10

(c) सात || 7

(d) छः || 6

उत्तर (d)

Answer

व्याख्या - भारतीयों को कुल छः मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। भारतीय संविधान के भाग III में अनुच्छेद 12 से 35 तक में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है, जो इस प्रकार हैं

(i) समानता का अधिकार अनुच्छेद (14-18)

(ii) स्वतन्त्रता का अधिकार अनुच्छेद (19-22)

(iii) शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद (23-24)

(iv) धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 25-28)

(v) संस्कृति और शिक्षा सम्बन्धी अधिकार (अनुच्छेद 29-30)

(vi) संवैधानिक उपचारों का अधिकार (अनुच्छेद 32)

मौलिक अधिकार || Fundamental Rights

भाग || Part - 3 (Article - 12-35)

- भारत के संविधान में मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए है।
- संविधान के भाग - 3 को मैगनाकार्टा कहते हैं।
- मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध प्रदान किए जाते है।
- The fundamental rights in the Constitution of India are derived from the Constitution of America.
- Part III of the Constitution is called Magna Carta.
- Fundamental rights are granted against the state.

Article – 12

- राज्य की परिभाषा || Definition of State
- भारत की सरकार की संसद || Parliament of Government of India
- राज्य की सरकार का विधान मंडल || Legislature of the State Government
- सभी स्थानीय प्राधिकारी || All local authorities

अन्य प्राधिकारी || Other Authorities

- सोम प्रकाश बनाम भारत संघ (1981) (Som Prakash Vs Union of India)

(i) सरकार की संसाधन (Resources)

(ii) सरकार की कार्यविधि से संचालित (Functions)

(iii) पूर्व इतिहास सरकार का है (History)

- **जैसे:-**

- ☞ सभी राष्ट्रीयकृत बैंक (Nationalised Banks)
- ☞ भारतीय कृषि अनुसंधान केन्द्र (ICAR- Indian Council of Agricultural Research)
- ☞ वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् (CSIR- Council for Scientific and Industrial Research)
- ☞ भारतीय खाद्य निगम (IFC - Indian Food Corporation)
- ☞ भारतीय इस्पात प्राधिकरण (ONGC - Oil and Natural Gas Commission)
- ☞ अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण (IAA - International Airports Authority)

Article – 13

- इसके अंतर्गत राज्य किसी ऐसे कानून का निर्माण नहीं करेगा जो मौलिक अधिकारों के विरुद्ध हो || Under this, the state will not make any law which is against the fundamental rights.

Article – 13 (1)

- संविधान से पूर्व की विधियाँ के बारे में प्रावधान || Provisions regarding pre-constitution laws. जैसे:- IPC, CRPC इत्यादि I

Article – 13 (2)

- संविधान के लागू होने के बाद की विधियाँ के बारे में प्रावधान || Provisions regarding the laws after the commencement of the Constitution

Article – 13 (2)

- विष्पि की परिभाषा के अंतर्गत अध्यादेश, आदेश, उपविधियाँ, नियम, विनियम, अधिसूचनाएँ, रूढ़िया और प्रथाएँ || Ordinances, Orders, Bye-laws, Rules, Regulations, Notifications, Customs and Practices under the definition of Vice-Chancellor

* **पृथकरनीयता का सिद्धांत (Doctrain of Serrability)**

- यदि कोई विधि मौलिक अधिकारों के खिलाफ है तो उस विधि का सिर्फ वह हिस्सों को अवैध-घोषित किया जाएगा जो मौलिक अधिकारों के विरुद्ध है, सम्पूर्ण विधि नहीं। || If a law is against the fundamental rights, then only those parts of that law which are against the fundamental rights, not the whole law, will be declared illegal.

आच्छादंता का सिद्धांत (Doctrain of Eclipse)

- संविधान से पूर्व की कोई विधि यदि मौलिक अधिकार के विरुद्ध है तो ऐसी विधि को मौलिक अधिकार आच्छादित कर लेते है। || If any law before the Constitution is against the fundamental right, then such a law is covered as a fundamental right.

Article – 13 (4)

- इस अनुच्छेद को 24 वें संविधान संसोधन 1971 के माध्यम से जोड़ा गया। || This article was added through the 24th Constitution Amendment 1971.
- शंकरी प्रसाद बनाम भारत सरकार (1951) के केस में supreme court ने संविधान संसोधन को विधि की परिभाषा नहीं माना। || In Shankari Prasad v. Government of India (1951), the Supreme Court did not consider the Constitution Amendment as the definition of law.
- सज्जन सिंह बनाम राजस्थान (1965) संविधान संसोधन को विधि की परिभाषा को नहीं माना। || Sajjan Singh v. Rajasthan (1965) did not consider the Constitution Amendment as the definition of law.
- गोलकनाथ वाद (1967) संविधान संशोधन को विधि की परिभाषा के अंतर्गत माना। || The Golaknath suit (1967) considered the constitutional amendment under the definition of law.
- सरकार 24 वे संविधान संशोधन 1971 किया और अनुच्छेद - 13 (4) जोड़ दिया जिसमें संविधान संशोधन को विधि के तहत नहीं माना। || The government made the 24th Constitutional Amendment 1971 and added Article 13 (4) in which the Constitution Amendment was not considered under the law.
- 1973 के केशवानंद भारती वाद / केस में supreme court ने संविधान संशोधन को विधि नहीं माना परन्तु मूलभूत ढाँचे का सिद्धांत पेश किया। || Kesavananda Bharati case of 1973 In the case, the Supreme Court did not consider the constitutional amendment as a law but introduced the principle of basic structure.

- अत: संसद सरकार संविधान संशोधन के माध्यम् से मूलभूत ढाँचे को प्रभावित नहीं कर सकती हैं। || Therefore, the Parliament government cannot influence the basic structure through a constitutional amendment.

Article || अनुच्छेद	Topic
14-18	समानता का अधिकार
19-22	स्वतंत्रता का अधिकार
23-24	शोषण के विरुद्ध
25-28	धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार
29-30	शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार
32	संवैधानिक उपचारों का अधिकार

समानता का अधिकार (Article - 14-18)

- Article 14
  अनुच्छेद-14 में दो प्रावधान हैं || There are two provisions in Article-14 :
    1. विधि के समक्ष समानता || Equality before law
    2. विधियों का समान संरक्षण || Equal protection of laws

विधि के समक्ष समानता के अपवाद || Exceptions to equality before law

- राष्ट्रपति और राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान कोई भी फौजदारी मामला नहीं चलाया जा सकता I (Art-361) || No criminal case can be tried during the tenure of the President and the Governor. (Art-361)
- दिवानी मामले मे दो महिने का नोटिस देना आवश्यक है (अनुच्छेद-361) || Two months' notice is required in a civil case (Article 361)
- राष्ट्रपति और राज्यपाल के निर्णय के प्रत्येक न्यायलय में कोई जबाब देह नहीं है। || There is no answer in every court of law for the decision of the President and the Governor.

- संसद के सदस्यों संसद में कही गई किसी बात के लिए न्यायलय में जवाब देह नहीं हैं। (अनुच्छेद-105) || Members of Parliament are not answerable in the court for anything said in Parliament. (Article 105)
- राज्य विधान मंडल के सदस्य विधान मंडल में कहीं गई किसी बात के लिए न्यायलय में जवाब देह नहीं होगें ! (अनुच्छेद - 194) || Members of the State Legislature shall not be liable in the court for anything done anywhere in the Legislature. (Article 194)

विधि के समक्ष समानता के अपवाद || Exceptions to equality before law

- अनुच्छेद - 14 का उल्लंघन नीति निदेशक तत्व के अनुच्छेद - 39(B) और 39(c) को लागू करने के - लिए किया जा सकता है। || Article 14 can be violated to enforce Articles 39(B) and 39(c) of the Directive Principles of Policy.
- वियाना समझौता 1961 के तहत कूटनीतिज्ञों को विशेष प्रकार की स्वतंत्रता दे रखी है जिसके तहत कूटनीतिज्ञ के खिलाफ किसी कानूनी फौजदारी मामला दर्ज नहीं किया जा सकता। || The Vienna Convention of 1961 gives diplomats special freedom under which no legal criminal case can be filed against a diplomat.

अनुच्छेद (Article) 15 (1)

- राज्य किसी नागरिक के साथ जाति (caste), धर्म (Religion), लिंग (Gender), जन्मस्थान (Place of birth), मूलवंश (Descent), के आधार पर कोई भेद-भाव नहीं करेगा। || The State shall not discriminate against any citizen on the basis of caste, religion, gender, place of birth, descent.

अनुच्छेद 15 (Article) (2)

- राज्य और व्यक्ति किसी भी नागरिक के साथ धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग , जन्मस्थान भा इन में से किसी आधार पर भेदभाव नहीं करेगा I ||The State and the Individual shall not discriminate against any citizen on the basis of religion, race, caste, sex, place of birth or place of birth.
- दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलो, और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश में भेदभाव नहीं I || No discrimination in entry into shops, public eateries, hotels, and places of public entertainment.

- पूर्णत: या अंशतः राज्यनीधि से पोषित कुओं, तालाबों सार्वजनिक समागम के स्थानों के उपयोग मे भेद-भाव नहीं || There is no discrimination in the use of wells, ponds, places of public gathering wholly or partially funded by state funds.

अनुच्छेद (Article) 15 (1)

- अपवाद :-
- राज्य महिला और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है ।
- जैसे:-
- मातृत्व लाभ अधिनियम - 1961
- घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम - 2005
- महिला आयोग - 1992

चंपकम दोराई राजन बनाम मद्रास राज्य (1951)

- राज्य के सांप्रादायिक (कम्युनल ऑर्डर) के खिलाफ चंपकम दोराई राजन ने Supreme Court में केस/ वाद किया जिसमें अनुच्छेद 15(4), 29 को आय के उल्लंघन का हवाला दिया राज्य अनुच्छेद- 46 का हवाला दिया। Supreme Court ने राज्य के आरक्षण को गलत साबित किया ।
- राज्य ने इसके विरुद्ध प्रथम संविधान संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 15 (4) जोड़ा ।

अनुच्छेद (Article) 15 (4)

- राज्य SC/ST, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए आरक्षण का प्रावधान कर सकता है ।
- शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान करता है।

अनुच्छेद (Article) 15 (5)

- 93 वे संविधान संशोधन 2005 से जोड़ा गया ।
- उच्च शैक्षणिक संस्थानों में (11T, IIM AIIMS) इत्यादि में SC/ST और SEBC (Social Educationally Backward Caste) के लिए आरक्षण का प्रावधान ।

Champakam Dorai Rajan v. State of Madras (1951)

- Champakam Dorai Rajan files case in Supreme Court against communal order in state The suit cited Article 15(4), 29 of the State Article-46 citing violation of income. The Supreme Court proved the state's reservation wrong.
- The state added Article 15(4) against it through the first constitutional amendment.

(Article) 15 (4) :

- Champakam Dorai Rajan files case in Supreme Court against communal order in state The suit cited Article 15(4), 29 of the State Article-46 citing violation of income. The Supreme Court proved the state's reservation wrong.
- The state added Article 15(4) against it through the first constitutional amendment.

(Article) 15 (4) :

- Champakam Dorai Rajan files case in Supreme Court against communal order in state The suit cited Article 15(4), 29 of the State Article-46 citing violation of income. The Supreme Court proved the state's reservation wrong.
- The state added Article 15(4) against it through the first constitutional amendment.

(Article) 15 (4) :

- The state can make provision for reservation for SC/ST, socially and educationally backward people.
- Provides for reservation in educational institutions.

(Article) 15 (5) :

- The 93rd Constitutional Amendment was added in 2005.
- Provision of reservation for SC/ST and SEBC (Social Educationally Backward Caste) in higher educational institutions (11T, IIM AIIMS) etc.

(Article) 15 (6)

- संविधान के 103 के संविधान संशोधन 2019 के माध्यम से जोड़ा गया ।
- आर्थिक रूप से पिछड़े समान्य वर्ग के लोगों के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान ।

(Article) 16 (1) : - लोक नियोजन में समानता || Equality in Public Employment

- राज्य के अधिन किसी रोजगार में अवसर की समानता
- * नियुक्ति
- * नियोजन

(Article) 16 (2)

- राज्य किसी भी नागरिक के साथ धर्म, मूलवंश, लिंग, जन्मस्थान, जाति, उद्भव और निवास के स्थान पर राज्य किसी भी नागरिक भेद-भाव नहीं करेगा ।

(Article) 15 (6)

- Section 103 of the Constitution was added through the Constitution Amendment 2019.
- Provision of 10% reservation for economically backward general category people.

(Article) 16 (1) : - लोक नियोजन में समानता || Equality in Public Employment

- Equality of opportunity in any employment under the State

* Appointment

* Employment

(Article) 16 (2)

- The State shall not discriminate against any citizen on grounds of religion, race, gender, place of birth, caste, origin and place of residence.

Article 16(3) - अपवाद

- संसद विधि बनाकर निवास के स्थान पर भेद-भाव कर सकता है !
- जैसे:- हिमाचल प्रदेश मणिपुर त्रिपुरा आंध्रप्रदेश इत्यादि !

- 371 (D) में आंध्र प्रदेश के लोगो के लिए विशेष प्रावधान (निवास के आधार पर) !

Article 16(4)

- राज्य पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए जिनका प्रतिनिधित्व (Representation) पर्याप्त नहीं है विशेष प्रावधान कर सकता है ।
- अनुच्छेद 340 के तहत राष्ट्रपति पिछड़ा वर्ग आयोग - का गठन करता है जो कि पिछड़ी जातियों के बारे में पहचान करता है ।
- अनुच्छेद- 340 के तहत प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग काका- · कालेलकर आयोग 1953 में गठन किया गया ।
- * 1955 मे इस आयोग ने रिपोर्ट सौंपी, इसकी रिपोर्ट पर सरकार ने कोई संग्यान नहीं किया ।
- 1979 में B.P. मंडल आयोग का गठन किया । इस आयोग ने 1980 में अपनी रिपोर्ट सौंपी, इस रिपोर्ट में 3743 जातियों को पिछड़ा कहा !

  (सामाजिक एवं शैक्षणिक आधार पर)
- B. P. मंडल आयोग की रिपोर्ट को 1990 में B. P. Singh B.P. की सरकार में लागू किया जिसमे OBC को 27% का आरक्षण प्रदान किया !

Article 16(3) - Exceptions

- Parliament can make laws and discriminate against the place of residence!
- Such as: Himachal Pradesh, Manipur, Tripura, Andhra Pradesh etc.
- Special provision for the people of Andhra Pradesh in 371(D) (on the basis of residence)

Article 16(4)

- The state can make special provisions for backward class people whose representation is not adequate.
- Under Article 340, the President constitutes the Backward Classes Commission which identifies the backward castes.
- First Backward Class Commission under Article 340 The Kalelkar Commission was formed in 1953.

- In 1955, this commission submitted its report, the government did not take any cognizance of its report.
- In 1979, the B.P. Mandal Commission was formed. This commission submitted its report in 1980, in this report 3743 castes were called backward. (On social and educational grounds)
- The B.P. Mandal Commission report was implemented in 1990 by B.P. Singh's government in which 27% reservation was given to OBCs.

इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार (1992)

- इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार बाद केस मे (एच. एम. कनिया) 09 जजों की बेंच बनी जिसमें !

Judgement :-

✓ इसमें OBC आरक्षण को वैध कहा !

✓ समान्य वर्ग के 10% आरक्षण को अवैध कहा !

✓ प्रोन्नति (Promotion) में आरक्षण नहीं मिलेगा !

✓ क्रीमीलेयर को आरक्षण नहीं मिलेगा !

✓ 50% से अधिक आरक्षण नहीं मिलेगा !

सरकार का कदम : -

1. सरकार ने क्रीमी लेयर को पहचान करने के लिए रामनंदन समिति (1993) का गठन किया !
2. भारत तथा राज्य सरकार के Group'A' राज्य सरकार के Group 'A' आर्मी में कर्नल और उससे बड़े Rank के अधिकार सब क्रीमी लेयर के अंतर्गत आते है !
3. सरकार ने 76 वे संविधान संशोधन 1994 के माध्यम् से तमिलनाडु राज्य को 69% के आरक्षण को वैध कर दिया !
4. 81 वा. संविधान संशोधन 2000

   ✓ इसके माध्यम से सरकार ने बैंक लॉग मे 50%. की सीमा के उल्लंघन के प्रावधान
   ✓ इसके माध्यम से अनुच्छेद 16 (4) (B) जोड़ा गया !

5. वर्तमान समय में पदोन्नति का आरक्षण का प्रावधान सिर्फ Sc, ST का आरक्षण 22.5% के लिए है!
6. OBC, EWS Category को पदोन्नति आरक्षण नहीं दिया गया !
7. देवदासन बनाम भारत सरकार वाद / केस (1964) कैरी फारवर्ड (carry forward) नियम से संबंधित है !

Government's move : -

1. The government formed the Ramanandan Committee (1993) to identify the creamy layer.
2. Group 'A' of the Government of India and the State Government, the rights of Colonel and above rank in the Group 'A' Army of the State Government come under the Creamy Layer.
3. The Government legalized the reservation of 69% to the State of Tamil Nadu through the 76th Constitutional Amendment 1994.
4. 81ST Constitution Amendment 2000
   - ✓ Through this, the government has made 50% of the bank logs. Provisions for violation of limits
   - ✓ Through this, Article 16(4)(b) was added.
5. At present, the provision of reservation for promotion is only for SC, ST reservation for 22.5%!
6. Promotion reservation was not given to OBC, EWS category!

Devdasan v/s Government of India The case (1964) relates to the carry forward rule.

अनुच्छेद || Article16 (5) : -

- राज्य किन्हीं धार्मिक संप्रदायिक संस्थाओं के प्रबंधन के लिए विशेष धर्म के व्यक्ति को वरीयता दे सकता है !

जैसे:- मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च, मदरसा आय राज्य विशेष द्वारा चर्च, दे सकता है ! धर्म के व्यक्तियों को वरीयता

अनुच्छेद || Article16 (6) : -

- इसको 103 के संविधान संशोधन 2019 के माध्यम् से जोड़ा गया (124 वा० विधेयक)
- इसके माध्यम से EWS Category को 10% का आरक्षण दिया गया है
- वर्तमान समय में

- OBC 27%
- Sc 15%
- ST *7.5%
- EWS - 10% का आरक्षण है

अनुच्छेद || Article16 (5) : -

- The state can give preference to a person of a particular religion for the management of any religious denominational institutions.

  For example, temples, gurudwaras, churches, madrasas can be given by the church, by the state! Preference to persons of religion

अनुच्छेद || Article16 (6) : -

- This was added through the Constitution Amendment 2019 of 103 (124th Bill).
- Through this, 10% reservation has been given to EWS category
  At the present time

✓ OBC 27%

✓ Sc 15%

✓ ST *7.5%

EWS - 10%

- जिनके परिवार की वार्षिक आय 8 लाख से अधिक न हो

- 75 एकड़ से कम कृषि भूमि हों
- 1000 sqft. से कम आवास हो

Note :-

- ✓ भारत के संविधान में अनुच्छेद- 334 में 70 वर्षों के लिए आरक्षण का प्रावधान था परन्तु सरकार ने इसे बार-बार आगे बढ़ाया !
- ✓ वर्तमान में 104 वे संविधान संशोधन के माध्यम से 15 Jan 2030 तक के लिए आरक्षण बढ़ा दिया गया है !

आरक्षण :-

- ✓ लोक सभा SC ST / अनुच्छेद-330
- ✓ आंगल भारतीय (Anglo-Indian)- अनुच्छेद- 331
- ✓ राज्य विधान मंडल अनुच्छेद-332
- ✓ आंगल भारतीय राज्य विधान - अनुच्छेद-: (Anglo-Indian in state)

KHAN GLOBAL STUDIES

भारत का संवैधानिक विकास

ईस्ट इण्डिया कम्पनी के अन्तर्गत

- रेग्यूलेटिंग एक्ट - 1773
- पिट्स इण्डिया एक्ट - 1784
- चार्टर एक्ट 1793
- चार्टर एक्ट - 1813
- चार्टर एक्ट - 1833
- चार्टर एक्ट 1853

ब्रिटिश क्राउन के अन्तर्गत

- भारत शासन अधिनियम - 1858
- भारत परिषद अधिनियम - 1861
- भारत परिषद अधिनियम - 1892
- भारत परिषद अधिनियम - 1909
- भारत शासन अधिनियम - 1919
- भारत शासन अधिनियम - 1935
- भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम -1947

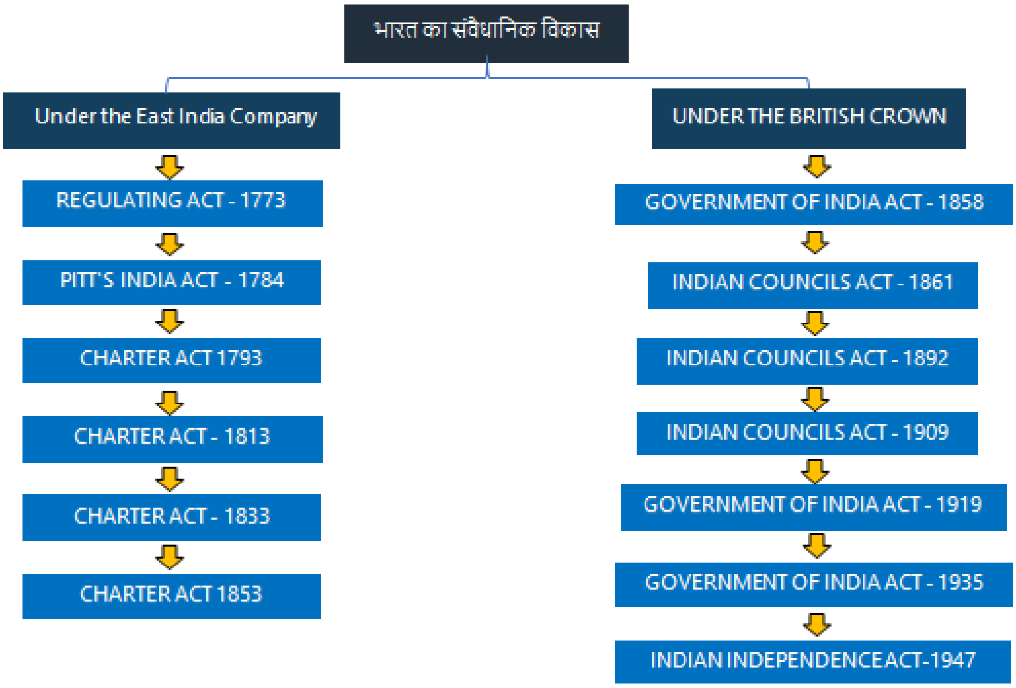
भारत का संवैधानिक विकास
Under the East India Company
REGULATING ACT - 1773
PITT'S INDIA ACT - 1784
CHARTER ACT 1793
CHARTER ACT - 1813
CHARTER ACT - 1833
CHARTER ACT 1853
UNDER THE BRITISH CROWN
GOVERNMENT OF INDIA ACT - 1858
INDIAN COUNCILS ACT - 1861
INDIAN COUNCILS ACT - 1892
INDIAN COUNCILS ACT - 1909
GOVERNMENT OF INDIA ACT - 1919
GOVERNMENT OF INDIA ACT - 1935
INDIAN INDEPENDENCE ACT-1947

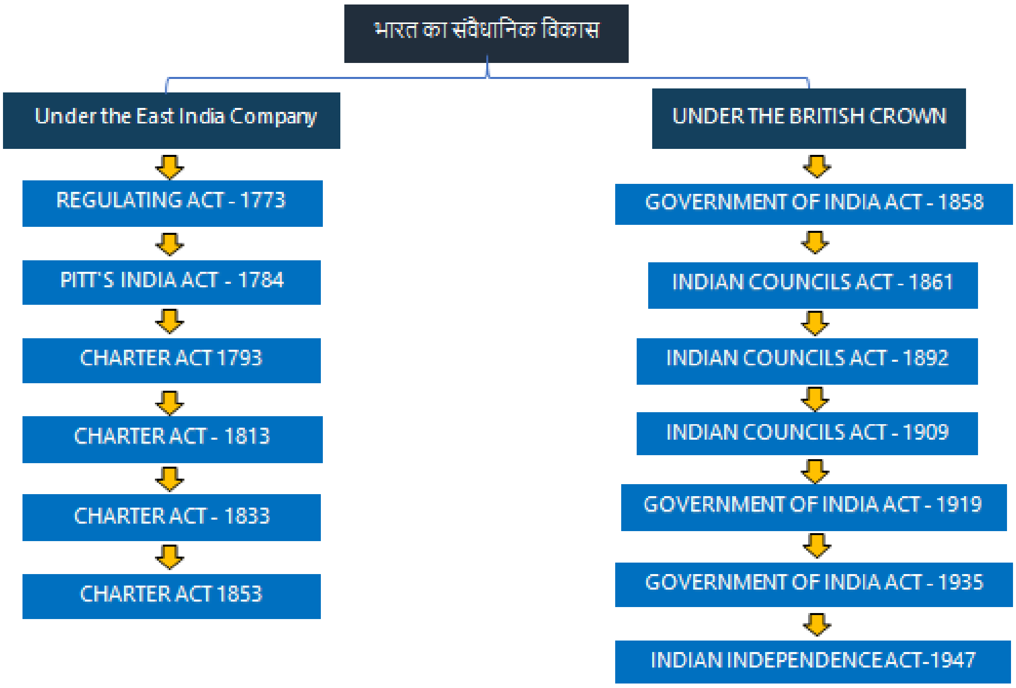
भारत का संवैधानिक विकास
Under the East India Company
REGULATING ACT - 1773
PITT'S INDIA ACT - 1784
CHARTER ACT 1793
CHARTER ACT - 1813
CHARTER ACT - 1833
CHARTER ACT 1853
UNDER THE BRITISH CROWN
GOVERNMENT OF INDIA ACT - 1858
INDIAN COUNCILS ACT - 1861
INDIAN COUNCILS ACT - 1892
INDIAN COUNCILS ACT - 1909
GOVERNMENT OF INDIA ACT - 1919
GOVERNMENT OF INDIA ACT - 1935
INDIAN INDEPENDENCE ACT-1947

ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत पारित अधिनियमों द्वारा (1773-1853)

ब्रिटिश ताज के अंतर्गत पारित अधिनियमों द्वारा (1858-1947)

ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत पारित अधिनियमों द्वारा (1773-1853)

By Acts passed under the British East India Company (1773-1853)

ब्रिटिश ताज के अंतर्गत पारित अधिनियमों द्वारा (1858-1947)

By Acts passed under the British Crown (1858-1947)

ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत पारित अधिनियम (Acts Passed Under the British East India Company)

रेग्युलेटिंग एक्ट, 1773 (Regulating Act, 1773)

इस अधिनियम के द्वारा भारत में कंपनी के शासन हेतु पहली बार एक लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया। भारतीय संवैधानिक इतिहास में इसका विशेष महत्त्व यह है कि इसके द्वारा भारत में कंपनी के प्रशासन पर ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण की शुरुआत हुई। इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान इस प्रकार हैं-

- बंबई तथा मद्रास प्रेसिडेंसी को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया।
- कलकत्ता प्रेसिडेंसी में गवर्नर जनरल व चार सदस्यों वाली परिषद के नियंत्रण में सरकार की स्थापना की गई।
- कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना (1774) की गई, जिसके अंतर्गत बंगाल, बिहार और उड़ीसा शामिल थे।
- सर एलिजाह इम्पे को इसका प्रथम मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया तथा चेंबर्स, लिस्टर एवं हाइड को अन्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया।

ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत पारित अधिनियम (Acts Passed Under the British East India Company)

रेग्युलेटिंग एक्ट, 1773 (Regulating Act, 1773)

Through this Act, for the first time a written constitution was introduced for the governance of the company in India. Its special significance in Indian constitutional history is that it introduced British parliamentary control over the company's administration in India. The main provisions of the Act are as follows:

- Bombay and Madras presidencies were subordinated to the Calcutta Presidency.
- In the Calcutta Presidency, the government was established under the control of the Governor General and a four-member council.
- A Supreme Court was established in Calcutta (1774), which included Bengal, Bihar and Orissa.
- Sir Elijah Impey was appointed its first Chief Justice and Chambers, Lister and Hyde were appointed as other judges.

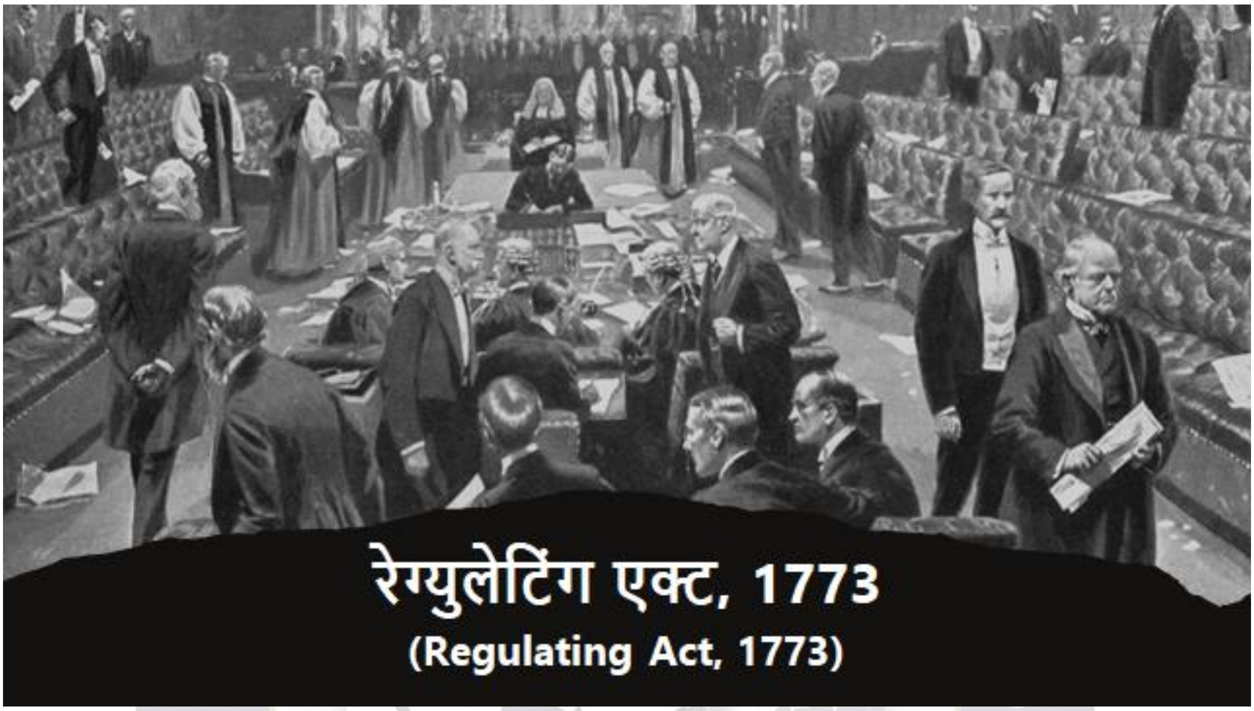

रेग्युलेटिंग एक्ट, 1773 (Regulating Act, 1773)

- भारत के सचिव की पूर्व अनुमति पर गवर्नर जनरल तथा उसकी परिषद (4 सदस्य) को कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया।
- अब बंगाल के गवर्नर को तीनों प्रेसिडेंसियों का 'गवर्नर जनरल' कहा जाने लगा।
- इस एक्ट के तहत बनने वाले बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स' थे।
- इस एक्ट के तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार व भारतीय लोगों से उपहार रिश्वत लेने को प्रतिबंधित कर दिया गया।
- कंपनी पर ब्रिटिश कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स (कंपनी की गवर्निंग बॉडी) का नियंत्रण बढ़ गया और अब भारत में इसके राजस्व, नागरिक ग और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक ने कर दिया गया।
- व्यापार की सभी सूचनाएँ क्राउन को देना सुनिश्चित किया गया।

रेग्युलेटिंग एक्ट, 1773 (Regulating Act, 1773)

- On the prior permission of the Secretary of India, the Governor General and his Council (4 members) were empowered to make laws.
- Now the Governor of Bengal came to be called the 'Governor General' of the three presidencies.
- Lord Warren Hastings was the first Governor General of Bengal to be formed under this Act.
- Under this Act, the employees of the company were prohibited from taking gifts from private business and Indian people.
- The control of the British Court of Directors (the company's governing body) over the company increased and it was now necessary to give information about its revenue, civil and military affairs in India to the British Government.
- All trade information was ensured to the Crown.

एक्ट ऑफ सेटलमेंट, 1781 (Act of Settlement, 1781)

- This act was brought with the aim of removing the shortcomings of the Regulating Act. Under this, the government of Calcutta was also given the power to make laws for Bengal, Bihar and Orissa.
- The principal provision of this Act was to demarcate the relationship between the Council of Governor General and the Supreme Court.
- The Act restrained the Supreme Court from taking action against the employees of the company, which they had done in the capacity of a government official. Done in the capacity of a government official. That is, the officers of the company were out of the purview of the Supreme Court for their official work.
- While implementing the court's own orders and orders, the government was directed to respect the social, religious customs of India while making and implementing the law.

एक्ट ऑफ सेटलमेंट, 1781 (Act of Settlement, 1781)

- रेग्युलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के उद्देश्य से यह एक्ट लाया गया था। इसके तहत, कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिये भी विधि निर्माण की शक्ति प्रदान की गई।
- इस अधिनियम का प्रमुख प्रावधान गवर्नर जनरल की परिषद तथा सर्वोच्च न्यायालय के बीच के संबंधों का सीमांकन करना था।
- इस अधिनियम द्वारा सर्वोच्च न्यायालय पर यह रोक लगा दी गई कि वह कंपनी के कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं कर सकता है, जो उन्होंने एक सरकारी अधिकारी की हैसियत से की हो। अर्थात्, कंपनी के अधिकारी शासकीय रूप से किये गए अपने कार्य के लिये सर्वोच्च न्यायालय के कार्यक्षेत्र से बाहर हो गए।
- न्यायालय की अपनी आज्ञाएँ तथा आदेश लागू करते समय सरकार को कानून बनाने तथा उसका क्रियान्वयन करते समय भारत के सामाजिक, धार्मिक रीति-रिवाजों का सम्मान करने का निर्देश दिया गया।

पिट्स इंडिया एक्ट, 1784 (Pitt's India Act, 1784)

- इस एक्ट को ब्रिटिश संसद में तत्कालीन प्रधानमंत्री विलियम पिट द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इस अधिनियम की मुख्य विशेषता यह थी कि 'निदेशक मंडल' (कोर्ट ऑफ़ डायरेक्टर्स) को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण (monitoring) की अनुमति तो दे दी गई, लेकिन राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिये 'नियंत्रण बोर्ड' (बोर्ड ऑफ़ कंट्रोल) नाम से एक नए निकाय का गठन किया गया। इस प्रकार भारत में द्वैध शासन व्यवस्था की शुरुआत हुई।
- यह अधिनियम दो प्रमुख कारणों से महत्त्वपूर्ण था - पहला, भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्रों को सर्वप्रथम 'ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र' कहा गया; दूसरा, ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी संबंधी कार्यों पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया।
- गवर्नर जनरल की परिषद की सदस्य संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई। साथ ही, मद्रास तथा बंबई की सरकारों को पूरी तरह बंगाल सरकार के अधीन कर दिया गया।

पिट्स इंडिया एक्ट, 1784 (Pitt's India Act, 1784)

- इस एक्ट को ब्रिटिश संसद में तत्कालीन प्रधानमंत्री विलियम पिट द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इस अधिनियम की मुख्य विशेषता यह थी कि 'निदेशक मंडल' (कोर्ट ऑफ़ डायरेक्टर्स) को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण (monitoring) की अनुमति तो दे दी गई, लेकिन राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिये 'नियंत्रण बोर्ड' (बोर्ड ऑफ़ कंट्रोल) नाम से एक नए निकाय का गठन किया गया। इस प्रकार भारत में द्वैध शासन व्यवस्था की शुरुआत हुई।
- यह अधिनियम दो प्रमुख कारणों से महत्त्वपूर्ण था - पहला, भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्रों को सर्वप्रथम 'ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र' कहा गया; दूसरा, ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी संबंधी कार्यों पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया।
- गवर्नर जनरल की परिषद की सदस्य संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई। साथ ही, मद्रास तथा बंबई की सरकारों को पूरी तरह बंगाल सरकार के अधीन कर दिया गया।

पिट्स इंडिया एक्ट, 1784 (Pitt's India Act, 1784)

- This act was introduced in the British Parliament by the then Prime Minister William Pitt. The main feature of this Act was that while the 'Court of Directors' was allowed to supervise the business affairs of the company, a new body called the 'Board of Control' was formed to manage political affairs. Thus began the system of dual government in India.
- The Act was important for two major reasons – first, the areas under the Company in India were first called 'British Dominion Territories'; Second, the British Government was given full control over company-related operations in India.
- The number of members of the Governor General's Council was reduced from 4 to 3. At the same time, the Governments of Madras and Bombay were completely subordinated to the Government of Bengal.

चार्टर अधिनियम, 1813 (Charter Act,1813)

- इस एक्ट के द्वारा कंपनी के अधिकार - पत्र को 20 वर्षों के लिये बढ़ा दिया गया व कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया ।
- लेकिन कंपनी का चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार पर यह एकाधिकार बरकरार रखा गया।
- कुछ सीमाओं के तहत भारत के साथ व्यापार करने हेतु सभी ब्रिटिशवासियों के लिये मुक्त व्यापार की अनुमति दे दी गई। ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दी गई।

चार्टर अधिनियम, 1813 (Charter Act, 1813)

- By this Act, the company's charter was extended for 20 years and the monopoly of the company to do business with India was abolished.
- But this monopoly of the company on trade and tea trade with China was retained.
- Free trade was allowed for all British citizens to trade with India under certain limits. Christian missionaries were allowed to preach religion in India.

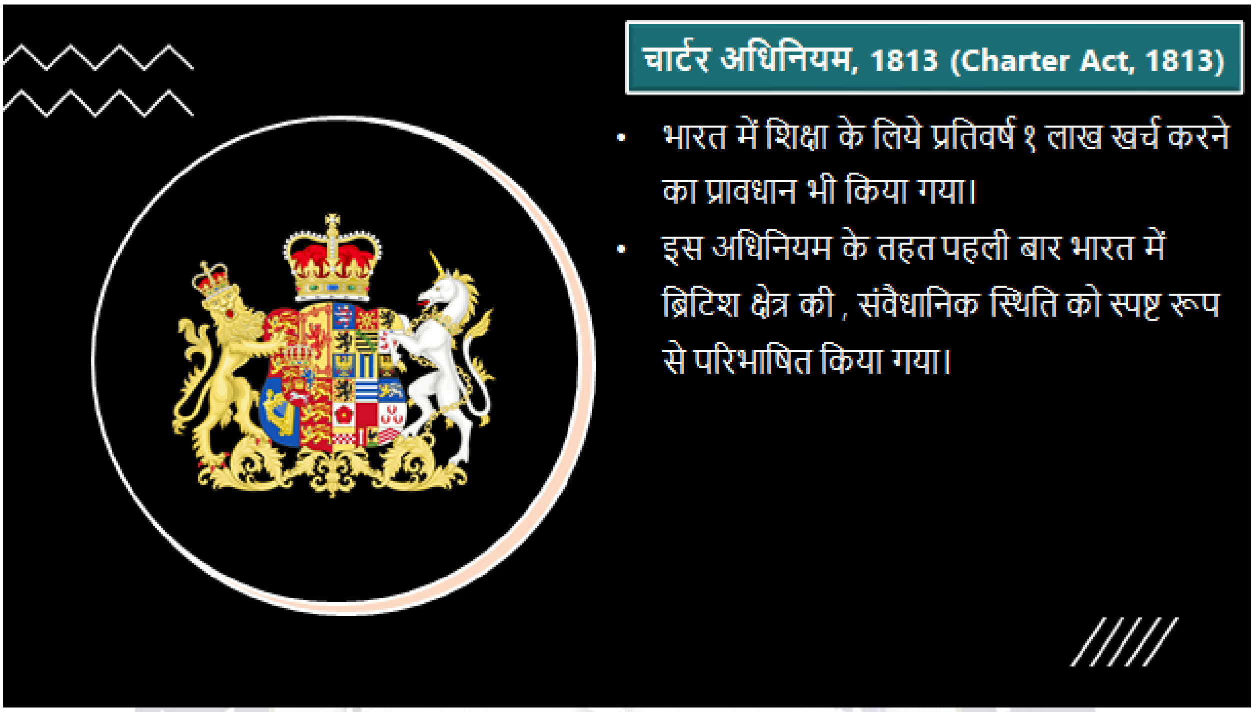
चार्टर अधिनियम, 1813 (Charter Act, 1813)
• भारत में शिक्षा के लिये प्रतिवर्ष १ लाख खर्च करने का प्रावधान भी किया गया।
• इस अधिनियम के तहत पहली बार भारत में ब्रिटिश क्षेत्र की , संवैधानिक स्थिति को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया।

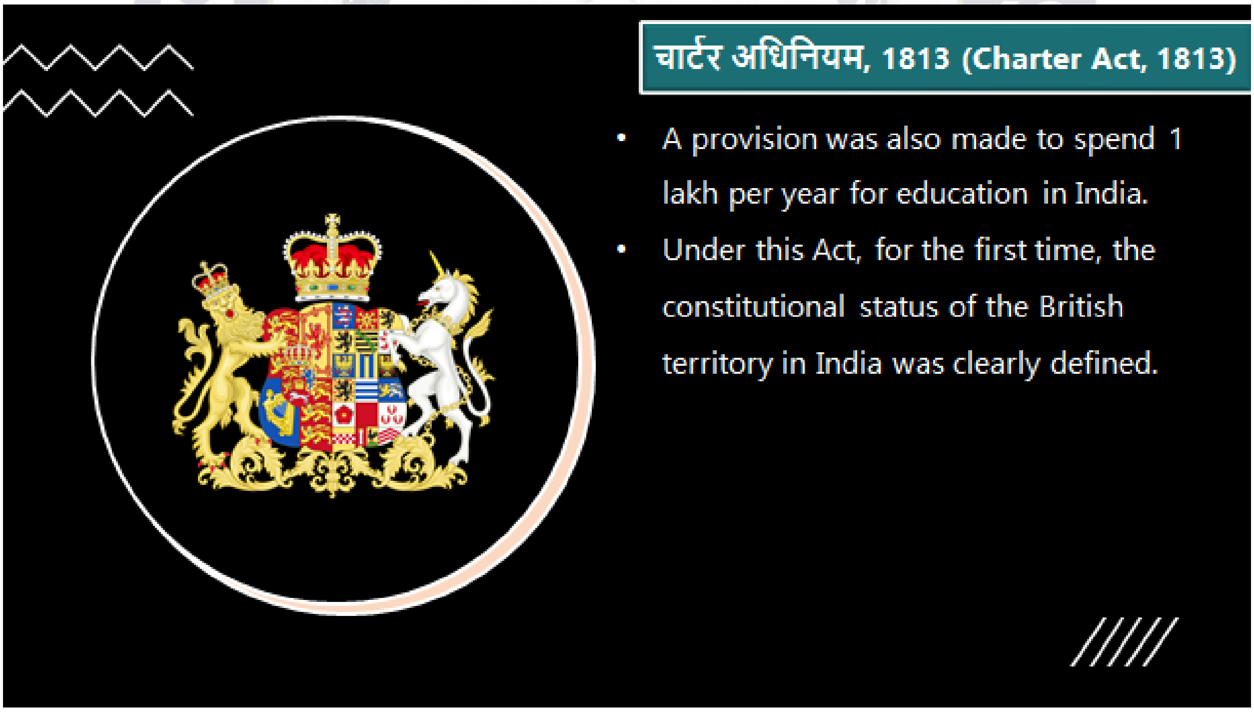
चार्टर अधिनियम, 1813 (Charter Act, 1813)
• A provision was also made to spend 1 lakh per year for education in India.
• Under this Act, for the first time, the constitutional status of the British territory in India was clearly defined.

चार्टर अधिनियम, 1833 (Charter Act, 1833)

इस अधिनियम के निर्माण का प्रमुख ध्येय ब्रिटिश सरकार द्वारा 1833 में सरकार के विधि-निर्माण को तथा विधि निर्माण संबंधी कार्यों को स्पष्ट करना था। इसके तहत प्रमुख परिवर्तन किये गए, जो निम्नलिखित हैं-

1. कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिये गए।
2. अब कंपनी का कार्य ब्रिटिश सरकार की ओर से केवल भारत पर शासन करना रह गया।
3. बंगाल के गवर्नर जनरल को 'भारत का गवर्नर जनरल' कहा जाने लगा तथा गवर्नर जनरल को सभी नागरिक और सैन्य शक्तियाँ प्रदान की गईं। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल 'लॉर्ड विलियम बैंटिक' बना।
4. मद्रास और बंबई के गवर्नर को विधायिका शक्ति से वंचित कर दिया गया। भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत में विध निर्माण का एकाधिकार प्रदान किया गया। इसके अंतर्गत पहले बनाए गए कानूनों को 'नियामक कानून' कहा गया और नए कानून के तहत बने कानूनों को 'एक्ट या अधिनियम' कहा गया।
5. अभी तक गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में तीन सदस्य होते थे, किंतु विधिक परामर्श हेतु गवर्नर जनरल की परिषद में 'विधि सदस्य' के रूप में चौथे सदस्य को शामिल किया गया।

चार्टर अधिनियम, 1833 (Charter Act, 1833)

The main purpose of the formulation of this Act was to clarify the law-making and law-making functions of the Government in 1833 by the British Government. Under this, major changes were made, which are as follows:

1. The trading rights of the company were completely abolished.
2. Now the task of the Company was only to rule India on behalf of the British Government.
3. The Governor General of Bengal came to be called the 'Governor General of India' and the Governor General was granted all civil and military powers. Lord William Bentinck became the first Governor General of India.
4. The governors of Madras and Bombay were deprived of legislative power. The Governor General of India was granted the monopoly of legislative construction throughout British India. Under this, the laws made earlier were called 'regulatory laws' and the laws made under the new law were called 'acts or acts'.
5. So far, the Governor General's Executive had three members, but for legal advice, a fourth member was included as a 'Legal Member' in the Governor General's Council.

चार्टर अधिनियम, 1833 (Charter Act, 1833)

6. गवर्नर जनरल की परिषद को राजस्व के संबंध में पूर्ण अधिकार प्रदान करते हुए गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिये एक ही बजट तैयार करने का अधिकार दिया गया।
7. भारतीय कानूनों का वर्गीकरण किया गया व इस कार्य के लिये 'विधि आयोग' का गठन किया गया। 'लॉर्ड मैकाले' की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया।
8. इस एक्ट के तहत सिविल सेवकों के चयन के लिये खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने का प्रयास किया।
9. इस एक्ट के द्वारा स्पष्ट कर दिया गया कि कंपनी के प्रदेशों में रहने वाले किसी भी भारतीय को केवल धर्म, जाति, वंश, रंग या जन्मस्थान के आधार पर कंपनी के किसी पद से, जिसके लिये वह योग्य हो, वंचित नहीं किया जाएगा। हालाँकि, कोर्ट ऑफ़ डायरेक्टर्स के विरोध के कारण यह प्रावधान लागू नहीं हो सका।
10. भारत में दास प्रथा को गैर-कानूनी घोषित किया गया तथा गवर्नर जनरल को निर्देश दिया गया कि भारत में दास प्रथा को समाप्त करने के लिये आवश्यक कदम उठाए ।
11. भारत में ब्रिटिश राज के दौरान संविधान निर्माण के प्रथम संकेत इस एक्ट में मिलते हैं।

चार्टर अधिनियम, 1833 (Charter Act, 1833)

6. The Governor General was empowered to prepare a single budget for the entire country, giving full powers to the Governor General's Council with respect to revenue.
7. Indian laws were classified and a 'Law Commission' was formed for this purpose. The first Law Commission was constituted under the chairmanship of 'Lord Macaulay'.
8. Under this Act, an attempt was made to start organizing an open competition for the selection of civil servants.
9. The Act made it clear that no Indian residing in the territories of the Company shall be deprived of any post of the Company for which he is qualified merely on grounds of religion, caste, descent, colour or place of birth. However, this provision could not be implemented due to opposition from the Court of Directors.
10. The practice of slavery was outlawed in India and the Governor General was directed to take necessary steps to end slavery in India.
11. The first signs of constitution formation during the British rule in India are found in this act.

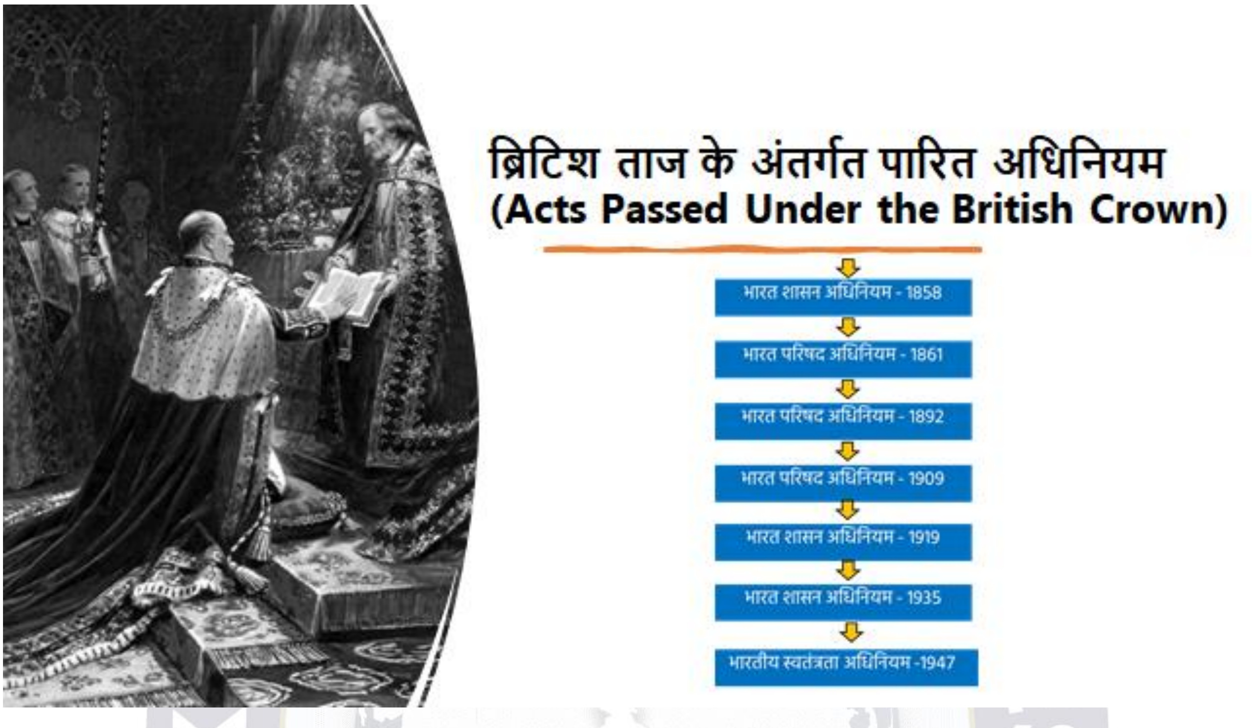

ब्रिटिश ताज के अंतर्गत पारित अधिनियम (Acts Passed Under the British Crown)

भारत शासन अधिनियम, 1858 (Government of India Act, 1858)

1857 की क्रांति के फलस्वरूप ब्रिटिश क्राउन ने भारत का शासन कंपनी के हाथों से ले लिया। इस अधिनियम के तहत भारत की संवैधानिक व्यवस्था में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन किये गए, जो निम्नलिखित हैं-

- कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स' तथा 'बोर्ड ऑफ कंट्रोल' को समाप्त कर उनके अधिकार ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को सौंपे गए।
- ब्रिटिश मंत्रिमंडल के उस सदस्य को 'भारत राज्य सचिव' (Secretary of State for India) का पद प्रदान किया गया।
- भारत राज्य सचिव की सहायता के लिये एक 15 सदस्यीय भारत परिषद' का गठन किया गया, जिसके सदस्यों (भारत सचिव सहित) को वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाना था।

ब्रिटिश ताज के अंतर्गत पारित अधिनियम (Acts Passed Under the British Crown)

भारत शासन अधिनियम, 1858 (Government of India Act, 1858)

As a result of the revolution of 1857, the British Crown took the rule of India from the hands of the Company. Under this Act, important changes were made in the constitutional system of India, which are as follows:

- The Court of Directors and the Board of Control were abolished, and their powers were delegated to a member of the British Cabinet.
- That member of the British Cabinet was given the post of 'Secretary of State for India'.
- A 15-member 'Council of India' was formed to assist the Secretary of State for India, whose members (including the Secretary of India) were to be paid salaries from Indian revenue.

ब्रिटिश ताज के अंतर्गत पारित अधिनियम (Acts Passed Under the British Crown)

भारत शासन अधिनियम, 1858 (Government of India Act, 1858)

- इस अधिनियम के तहत यह भी व्यवस्था की गई थी कि इन सदस्यों में से कम-से- -कम आधे ऐसे सदस्य हों, जो भारत में 10 वर्ष तक सेवा दे चुके हों और नियुक्ति के समय उन्हें भारत से आए अधिक-से-अधिक 10 वर्ष हुए हों।
- भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित हो गया और मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया।
- भारत का राज्य सचिव अपने कार्यों के लिये ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता था।
- भारत के गवर्नर जनरल को 'वायसराय' की उपाधि दी गई तथा वह क्राउन का सीधा प्रतिनिधि बन गया। भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग' बना।

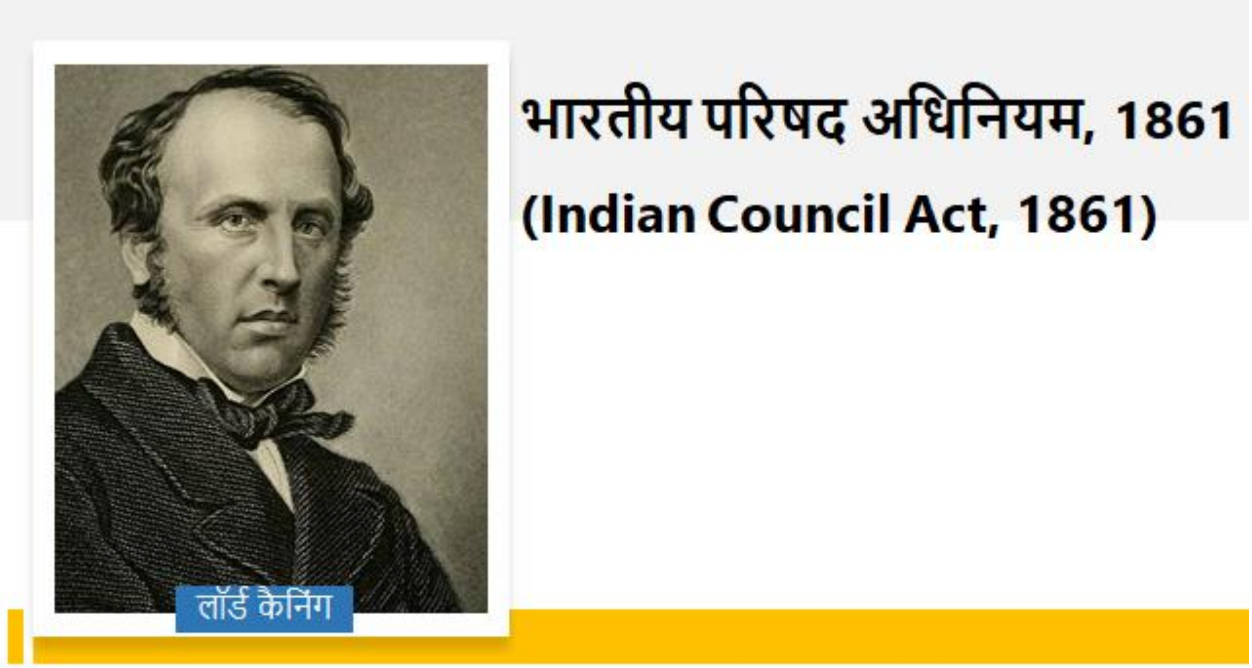

भारतीय परिषद अधिनियम, 1861 (Indian Council Act, 1861)

भारतीय परिषद अधिनियम, 1861 भारत के संवैधानिक इतिहास में एक महत्त्वपूर्ण घटना है, क्योंकि इसके द्वारा भारत सरकार की मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव रखी गई थी। इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान निम्न थे-

- इस अधिनियम द्वारा कार्यकारी परिषद के सदस्यों की संख्या 4 से बढ़ाकर 5 कर दी गई। (इसमें तीन सदस्य प्रशासनिक सेवा के होते थे, जिनको भारत में रहने का 10 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक था। शेष दो सदस्यों में से एक को 5 वर्ष विधि संबंधी अनुभव प्राप्त होना आवश्यक था।)
- वायसराय की विधान परिषद में न्यूनतम 6 और अधिकतम 12 अतिरिक्त मनोनीत सदस्यों का प्रावधान किया गया था। इनमें कम-से-कम आधे सदस्यों का गैर-सरकारी होना आवश्यक था. किंतु इनकी शक्तियाँ विधि-निर्माण तक ही सीमित होती थीं।
- 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने तीन भारतीयों बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया।

भारतीय परिषद अधिनियम, 1892 (Indian Council Act, 1892)

- इस अधिनियम द्वारा केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों की सदस्य संख्या को बढ़ा दिया गया। केंद्रीय विधान परिषद के संदर्भ में न्यूनतम 10 तथा अधिकतम 16 अतिरिक्त सदस्य (गैर-सरकारी) निर्धारित किये गए। गवर्नर जनरल को उनको नामांकित करने के नियम बनाने का प्राधिकार प्राप्त था।
- परिषद के भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने और सरकार से प्रश्न पूछने का अधिकार भी दिया गया, लेकिन परिषद के अध्यक्ष को भारतीय सदस्यों द्वारा पूछे गए किसी भी प्रश्न को स्वीकृत या अस्वीकृत करने का अधिकार प्राप्त था।

नोट: भारतीय परिषद अधिनियम, 1892, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1889 से 1891 तक के अधिवेशनों में स्वीकार किये गए प्रस्तावों से प्रभावित होकर पारित किया गया था।

भारतीय परिषद अधिनियम, 1861 (Indian Council Act, 1861)

- वायसराय को विधानसभा में भारतीयों के नाम निर्दिष्ट करने की शक्ति प्रदान की गई। यह राज्य सचिव के नियंत्रण तथा निरीक्षण में कार्य करती थी।
- वायुमसय को विशेषाधिकार व आपात स्थिति में अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया।
- वायसराय को आवश्यक नियम एवं आदेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई, जिसके तहत लॉर्ड कैनिंग ने भारतीय शासन में पहली बार 'संविभागीय प्रणाली' (Portfolio System) की शुरुआत की।
- इस अधिनियम ने बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसियों को कानून बनाने की शक्ति वापस देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की।

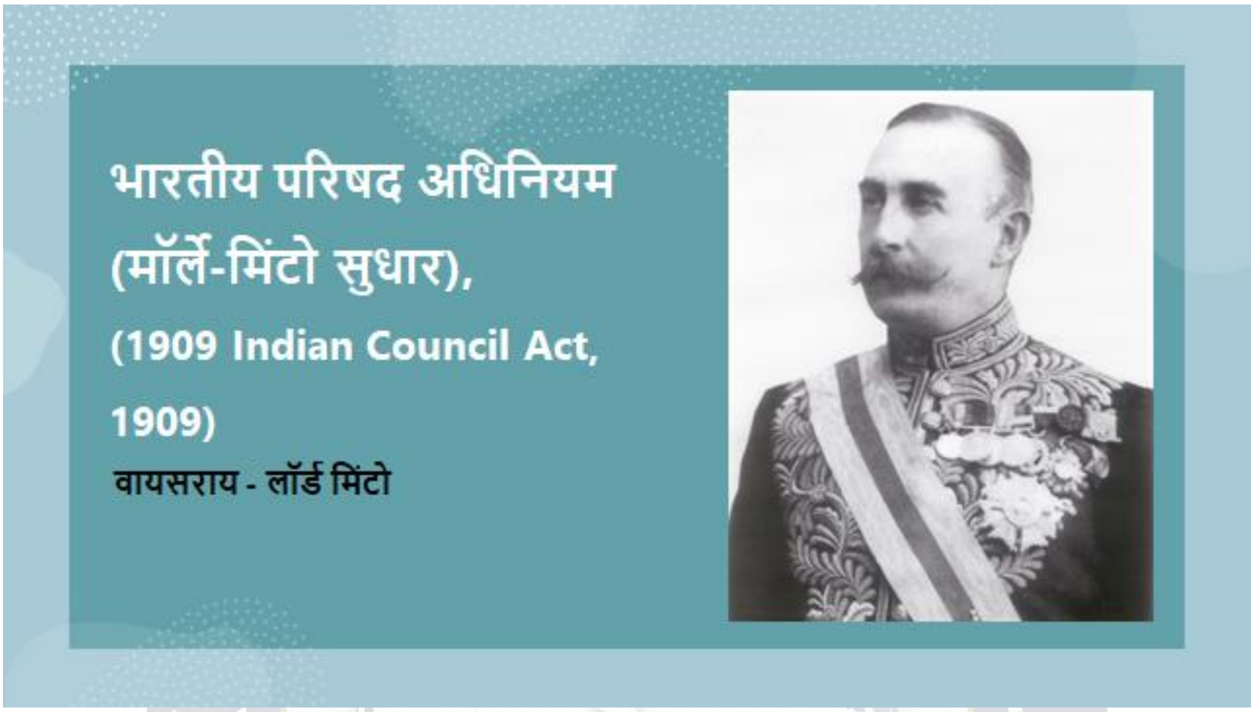

भारतीय परिषद अधिनियम (मॉर्ले-मिंटो सुधार), (1909 Indian Council Act, 1909)

इस अधिनियम द्वारा परिषदों व उनके कार्यक्षेत्रों का अधिक विस्तार किया गया और उन्हें प्रतिनिधिक एवं प्रभावी बनाने के लिये उपाय किये गए। इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित थीं-

- केंद्रीय विधान परिषद में सरकारी सदस्यों के बहुमत की व्यवस्था रखी गई, तो प्रांतीय विधान परिषदों में गैर-सरकारी सदस्यों के बहुमत की व्यवस्था थी।
- सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय थे। (विधि सदस्य)
- विधान परिषद के सदस्यों को बजट अंतिम रूप से स्वीकार करने से पूर्ण बजट पर वाद-विवाद करने तथा प्रस्ताव पारित करने का अधिकार दिया गया। सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का भी अधिकार मिला।
- सदस्यों को सार्वजनिक हित से संबंधित विषयों की विवेचना करने, प्रस्ताव पारित करने का अधिकार प्रदान किया गया।
- इसके तहत जाति, वर्ग, धर्म आदि के आधार पर पृथक् निर्वाचन प्रणाली अपनाई गई, जिसमें प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन, चेंबर ऑफ कॉमर्स तथा ज़मींदारों को पृथक् प्रतिनिधित्व दिया गया।

भारतीय परिषद अधिनियम (मॉर्ले-मिंटो सुधार), 1909 Indian Council Act, 1909)

- पहली बार केंद्रीय विधान परिषद हेतु मुस्लिम वर्ग के लिये भी पृथक् निर्वाचन की व्यवस्था की गई।

नोट: लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय तथा जॉन मॉर्ले इग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे।

- लॉर्ड मिंटो को 'सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक' के रूप में जाना जाता है।

भारत शासन अधिनियम, 1919 (Government of India Act, 1919)

- **हस्तांतरित विषय (Transferred Subject)**
  - इसमें शिक्षा, पुस्तकालय, स्थानीय स्वायत्त शासन, चिकित्सा सहायता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, उद्योग, सार्वजनिक मनोरंजन पर नियंत्रण आदि शामिल थे।
  - इन विषयों का संचालन गवर्नर तथा विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों की सहायता से होता था।
- **आरक्षित विषय (Reserved Subjects)**
  - रक्षा, विदेश मामले, वित्त, भूमि, कर, अकाल सहायता, न्याय, पुलिस, पेंशन, छापाखाना, समाचार पत्र, सिंचाई, जलमार्ग, कारखाना, बिजली, गैस, श्रमिक कल्याण, औद्योगिक विवाद, मोटरगाड़ियाँ, छोटे बंदरगाह एवं सार्वजनिक सेवाएँ आदि।
  - आरक्षित विषयों का संचालन गवर्नर और उसकी कार्यकारी परिषद के माध्यम से किया जाता था।

भारत शासन अधिनियम, 1919 (Government of India Act, 1919)

- विधान परिषद में तीन प्रकार के सदस्यों की व्यवस्था की गई-
  (i) निर्वाचित (Elected)
  (ii) मनोनीत सरकारी (Nominated Governmental)
  (iii) मनोनीत गैर-सरकारी (Nominated Non-Governmental)
- निर्वाचित सदस्यों की संख्या लगभग 71 प्रतिशत, मनोनीत सरकारी सदस्यों की संख्या लगभग 18 प्रतिशत तथा मनोनीत गैर-सरकारी सदस्यों की संख्या 11 प्रतिशत रखी गई थी।
- सीमित मताधिकार तथा सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई।
- इसके तहत लोक सेवा आयोग का गठन किया गया।
- निर्वाचक क्षेत्रों को दो भागों में विभाजित किया गया सामान्य तथा विशिष्ट । सामान्य वर्ग में हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, आंग्ल-भारतीय, सिख आदि; जबकि विशिष्ट वर्ग में भू-स्वामियों, विश्वविद्यालयों, व्यापार मंडलों आदि का प्रतिनिधित्व निर्धारित किया गया।

भारत शासन अधिनियम, 1919 (Government of India Act, 1919)

- इसने साप्रदायिक आधार पर सिखों, ईसाइयों, आंग्ल-भारतीयों तथा यूरोपियों के लिये भी पृथक् निर्वाचन के सिद्धांत को विस्तारित किया।
- इसमें पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया।
- इसके अंतर्गत एक वैधानिक आयोग का भी गठन किया गया, जिसे 10 वर्ष बाद जाँच करने के पश्चात् अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी।
- केंद्रीय विधानमंडल को केंद्रीय सूची में उल्लिखित विषयों के संबंध में विधि निर्माण का अधिकार प्राप्त था, परंतु अंतिम निर्णय का अधिकार गवर्नर जनरल को प्राप्त था।
- प्रांतीय विधानमंडल को प्रांतीय विषयों के संबंध में विधि निर्माण का अधिकार प्राप्त था, परंतु ये अधिकार गवर्नरों के अधिकारों के कारण अत्यधिक सीमित थे।

- नोट: इस अधिनियम द्वारा पहली बार भारत में महिलाओं को मत देने का अधिकार प्रदान किया गया।

लोक सेवा आयोग
PUBLIC SERVICE COMMISSION

भारत शासन अधिनियम, 1935 (Government of India Act,\1935)

भारत शासन अधिनियम, 1935 (Government of India Act, 1935)

1930-32 में लंदन में हुए तीन गोलमेज सम्मेलनों में संवैधानिक ने ।। सुधारों से संबंधित संस्तुतियों के फलस्वरूप इस अधिनियम का निर्माण किया गया। इसकी प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित थीं-

- भारत में सर्वप्रथम संघीय शासन प्रणाली की नींव रखी गई। संघ की दो इकाइयाँ थीं- ब्रिटिश भारतीय प्रांत तथा देशी रियासतें ।
- केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना अर्थात् केंद्र तथा राज्य इकाइयों के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया (तीन सूचियों के अंतर्गत) - संघ सूची, प्रांत सूची तथा समवर्ती सूची।
- संघ सूची में 59 विषय, प्रांत सूची में 54 विषय और समवर्ती सू में 36 विषय शामिल किये गए तथा अवशिष्ट शक्तियाँ गवर्नर जनरल में निहित थीं (संघीय सूची में- विदेशी कार्य, मुद्रा, नौसेना, थल सेना, वायुसेना, जनगणना जैसे विषय थे। प्रांतीय सूची में पुलिस, प्रांतीय लोक सेवा और शिक्षा । समवर्ती सूची में- दंड विधि और प्रक्रिया, सिविल प्रक्रिया, विवाह एवं विवाह विच्छेद आदि सम्मिलित थे।)

भारत शासन अधिनियम, 1935 (Government of India Act, 1935)

- प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया तथा प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया गया।
- इसके तहत 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई।
- इस अधिनियम द्वारा 'भारत परिषद' को समाप्त कर दिया गया एवं विवादों के निपटारे के लिये संघीय न्यायालय की स्थापना की गई जो अंतिम न्यायालय नहीं था, अंतिम अपीलीय न्यायालय 'प्रिवी काउंसिल' था।
- बर्मा (वर्तमान म्यांमार) को भारत से (1937 में) अलग कर दिया गया।
- प्रांतीय विधानमंडलों का विस्तार किया गया। प्रांतों में 11 में से 6 विधानमंडलों में दो सदनों की व्यवस्था की गई (6 प्रांत- असम, बंगाल, बिहार, बंबई, मद्रास एवं संयुक्त प्रांत) ।
- इसके अंतर्गत मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिये भारतीय रिज़र्व बैंक की स्थापना की गई।
- इसने दलित जातियों, महिलाओं और मज़दूर वर्ग के लिये अलग से निर्वाचन की व्यवस्था की।
- मताधिकार का विस्तार हुआ। लगभग 10 प्रतिशत जनसंख्या को मत का अधिकार प्राप्त हुआ।

भारत शासन अधिनियम, 1935 (Government of India Act, 1935)

- इसने न केवल फेडरल लोक सेवा आयोग की स्थापना की, बल्कि प्रांतीय सेवा आयोग और दो या दो से अधिक राज्यों के लिये संयुक्त सेवा आयोग की भी स्थापना की।

- **नोट:** 1935 का भारत शासन अधिनियम जुलाई 1936 में लागू हुआ और इसके प्रावधानों के आधार पर 1937 में चुनाव हुए, जिसमें कांग्रेस को 5 स्थानों पर पूर्ण बहुमत, असम तथा पश्चिमोत्तर प्रांत में कांग्रेस की मिली-जुली सरकार, पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी, बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी और सिंध में मुस्लिम लीग की सरकार बनी।

क्रिप्स मिशन, 1942 (Cripps Mission, 1942)

क्रिप्स मिशन, 1942 (Cripps Mission, 1942)

- क्रिप्स मिशन सर स्टैफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत भेजा गया एक मिशन था जिसका उद्देश्य द्वितीय विश्वयुद्ध के समय अपने लिये भारत का पूर्ण सहयोग प्राप्त करना था। चर्चिल ने 11 मार्च, 1942 को क्रिप्स मिशन की घोषणा की और 22 मार्च, 1942 को क्रिप्स मिशन (एकल प्रतिनिधि) भारत पहुँचा।
- क्रिप्स प्रस्ताव की मुख्य विशेषताएँ अधोलिखित थीं- • क्रिप्स ने घोषणा की कि भारत में ब्रिटिश नीति का उद्देश्य है, जितनी जल्द संभव हो सके, भारत में स्वशासन की स्थापना अर्थात् युद्ध के बाद भारत को 'डोमिनियन स्टेटस' दिया जाएगा।
- युद्ध के बाद एक ऐसे भारतीय संघ के निर्माण का प्रयत्न किया जाएगा जिसे पूर्ण उपनिवेश का दर्जा प्राप्त होगा और उसे राष्ट्रकुल से अलग होने का अधिकार भी होगा।
- युद्ध के बाद एक संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया जाएगा जिसमें ब्रिटिश प्रांतों के चुने हुए प्रतिनिधि तथा देशी रियासतों के प्रतिनिधि शामिल होंगे।

क्रिप्स मिशन, 1942 (Cripps Mission, 1942)

- संविधान सभा द्वारा निर्मित किये गए संविधान को सरकार दो शर्तों पर ही लागू कर सकेगी-
- जो प्रांत इससे सहमत नहीं होंगे वे इसे अस्वीकार कर पूर्ववत् स्थिति में रह सकते हैं या फिर वे पूर्णतया स्वतंत्र रहना चाहते हैं तब भी ब्रिटिश सरकार को कोई आपत्ति नहीं है। पाकिस्तान की मांग के लिये इस व्यवस्था के तहत गुंजाइश बनाई गई। भारतीय संविधान सभा तथा ब्रिटिश सरकार के मध्य अल्पसंख्यकों के हितों (यथा- सुरक्षा, आश्वासन, प्रतिनिधित्व व विकास आदि) को लेकर एक समझौता होगा।

भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 (Indian Independence Act,1947)

भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 (Indian Independence Act, 1947)

इस अधिनियम द्वारा माउंटबेटन योजना को वैधानिक रूप दिया। गया। इसके अंतर्गत की गई प्रमुख बातें निम्नलिखित थीं-

- 15 अगस्त, 1947 ई. को 'भारत' एवं 'पाकिस्तान' नामक दो अधिराज्य बना दिये जाएंगे और ब्रिटिश सरकार उनको सत्ता सौंप देगी। सत्ता का उत्तरदायित्व दोनों अधिराज्यों की संविधान सभा को सौंपा जाएगा। प्रत्येक अधिराज्य में गवर्नर जनरल होगा, जिसकी नियुक्ति इंग्लैंड का सम्राट करेगा।
- नए संविधान का निर्माण होने तक दोनों राज्यों का प्रशासन भारत शासन अधिनियम, 1935 के अनुसार चलाया जाएगा।
- भारत सचिव का पद समाप्त करके उसके स्थान पर राष्ट्रमंडल के सचिव की नियुक्ति की जाएगी।
- देशी रियासतों पर ब्रिटेन की संप्रभुता का अंत कर दिया गया। उनको भारत या पाकिस्तान किसी भी अधिराज्य में सम्मिलित होने और अपने भावी संबंधों का निश्चय करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई।

लोकपाल (Lokpal)

- भारतीय प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग (Administrative Reforms Commission) (1966-1970) की सिफारिश पर नागरिकों की समस्याओं के समाधान हेतु दो विशेष संस्थाओं लोकपाल व लोकायुक्त की नियुक्ति की गयी है।
- इनकी स्थापना स्कैण्डनेवियन देशों के इंस्टिट्यूट ऑफ ओम्बुड्समैन और न्यूजीलैण्ड के संसदीय जाँच समिति (Parliamentary Commission for Investigation) की तर्ज पर की गई।
- लोकपाल, मंत्री, केन्द्र तथा राज्य स्तर के सचिवों से सम्बंधित शिकायतों की जाँच करता है और लोकायुक्त (एक केन्द्र में व एक प्रत्येक राज्य में) विशेष उच्च अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतों की जाँच करता है।

लोकपाल (Lokpal)

- On the recommendation of the First Administrative Reforms Commission of India (1966-1970), two special institutions Lokpal and Lokayukta have been appointed to solve the problems of the citizens.
- They were established on the lines of the Institute of Ombudsmen of the Scandinavian countries and the Parliamentary Commission for Investigation.
- The Lokpal examines complaints relating to ministers, central and state level secretaries and the Lokayukta (one at the Centre and one in each state) investigates complaints against special high officials.

लोकपाल (Lokpal)

- प्रशासनिक सुधार आयोग (ARC) ने न्यूज़ीलैण्ड की तरह न्यायपालिका (Judiciary) को लोकायुक्त व लोकपाल के दायरे से बाहर रखा है।

स्वीडन में न्यायालय भी ओम्बुड्समैन (Ombudsman) के अंतर्गत आता है।

- प्रशासनिक सुधार आयोग (ARC) के अनुसार, राष्ट्रपति के द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष व राज्यसभा के सभापति की परामर्श पर लोकपाल की नियुक्ति करता है।

लोकपाल (Lokpal)

- The Administrative Reforms Commission (ARC), like New Zealand, has kept the judiciary out of the purview of Lokayukta and Lokpal.

The Court in Sweden also belongs to the Ombudsman.

- According to the Administrative Reforms Commission (ARC), the Ombudsman is appointed by the President on the advice of the Chief Justice of India, the Speaker of the Lok Sabha and the Chairman of the Rajya Sabha.

Article - 17

अस्पृश्यता का अंत
(Abolition of Untouch ability)

- भारत के संविधान में अस्पृश्यता को परिभाषित नहीं किया गया है।
- Supreme Court ने जयसिंह बनाम भारत संघ 1976 वाद केस में यह कहा अस्पृश्यता का अर्थ ऐतिहासिक बताया।
- महात्मा गाँधी ने कहा अस्पृश्यता (छुआ-छूत) एक पाप है
- *भारतीय समाज में लम्बे समय से अस्पृश्यता होत रही है
- जैसे:-
  - जाति के आधार पर
  - धर्म के आधार पर
  - लिंग के आधार पर

Article - 17

अस्पृश्यता का अंत
(Abolition of Untouch ability)

- Untouchability is not defined in the Constitution of India.
- The Supreme Court said this in Jai Singh vs Union of India 1976 case that the meaning of untouchability was historic.
- Mahatma Gandhi said untouchability is a sin.
- *Untouchability has been happening in Indian society for a long time.
- as:-
  - Based on caste
  - Based on religion
  - Based on gender

Article - 17

अस्पृश्यता का अंत
(Abolition of Untouch ability)

- अनुच्छेद-17 में दो प्रावधान है
- 1. मना है (Forbidden)
- 2. करने पर दंड का प्रावधान है (दंड का प्रावधान (Punisable offence). राज्य करेगा)
- *** राज्य ने अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम 1955**
  - ✓ इस Act में सरकार ने सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976 बनाया
  - ✓ SC ST अत्याचार निवारण अधिनियम (1989) संशोधन 2018-2019
  - ✓ *इस प्रकार से हमारे संविधान ने अस्पृश्यता का अंत हुआ !

Article - 18

उपाधियों का अंत
(Abolition of Titles)

राज्य किसी भी व्यक्ति को उपाधि प्रदान नहीं करेगा। राज्य को सेना या शिक्षा को छोड़कर किसी को उपाधि नहीं देगा!

जैसे:- DR, Dr.

स्वतंत्रता से पहले राम, वीर, बहादुर, राजा, नाइट हुड, लॉर्ड, सर, आदय की उपाधी दी जाती थी !

Article - 18 (1)

राज्य सेना या शिक्षा के सिवाय को उपाधी प्रदान नहीं करेगा ।

Article - 18 (2)

कोई भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से उपाधि स्वीकार नहीं करेगा।

Article - 18

उपाधियों का अंत (Abolition of Titles)

The state shall not confer the title on any person. The state will not give titles to anyone except the army or education!

as:- DR, Dr.

Before independence, the titles of Ram, Veer, Bahadur, Raja, Knight Hood, Lord, Sir, Adya were given.

Article - 18 (1)

The State shall not confer a degree except army or education.

Article - 18 (2)

No citizen of India shall accept a title from any foreign State.

Article - 18

Article - 18 (3)

- कोई विदेशी जो राज्य के अधीन लाभ के पद पर कार्य कर रहा है राष्ट्रपति के सहमति के बिना उपाधी धारण नहीं करेगा।

Article - 18 (4)

- कोई व्यक्ति चाहे वह भारतीय हो या विदेशी यदि राज्य के अधीन लाभ का पद धारन करता है राष्ट्रपति की सहमति के बिना भेट उपलब्धि स्वीकार नहीं करेगा
- **NOTE :-**
  - ✓ भारत में उपाधियों का अंत C. राजगोपालाचारी ने किया था।
  - ✓ पद्म पुरस्कार (1954) में शुरू किए गए थे परन्तु पद्म पुरस्कारों को उपाधी के अंतर्गत नहीं रखा गया है।

Article - 18 (3)

- No foreigner who is serving in office of profit under the State shall hold the title without the consent of the President.

Article - 18 (4)

- No person, whether Indian or foreign, holding office of profit under the State shall accept the gift without the consent of the President.
- **NOTE :-**
  - ✓ The titles in India were abolished by C. Rajagopalachari.
  - ✓ The Padma Awards were instituted in 1954 but the Padma Awards are not placed under the title.

स्वतंत्रता का अधिकार (Article - 19-22)

- अनुच्छेद-19 में दो प्रकारों में बाँटा गया है।

अनुच्छेद- 19 (1)	अनुच्छेद - 19 (2)
नागरिको के अधिकार	राज्य के अधिकार प्राप्त हैं!

- अनुच्छेद-19 में सहसंबंधित अधिकारों का वर्णन है

Right To Freedom (Article - 19-22)

- Article-19 is divided into two types.

Article 19(1)	Article – 19 (2)
Rights of Citizens	The state has Rights

- Article 19 describes the related rights.

स्वतंत्रता का अधिकार (Article - 19-22)

Article - 19 (1) (a) **[भाषण तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता**

- भाषण और अभिव्यक्ति में मौलिक अंतर हैं अभिव्यक्ति के अंतर्गत लिखकर बोलकर तथा सांकेतिक माध्यम शामिल होते है !
- Supreme court ने समय-समय पर अभिव्यक्ति के धिकार को परिभाषित किया है एक लोकतांत्रिक राष्ट्र अभिव्यक्ति का अधिकार अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है।
- राष्ट्र Supreme court के विभिन्न निर्णय में **जैसे :-** प्रेस की आजादी !

Right To Freedom (Article - 19-22)

Article - 19 (1) (a) **[Freedom of speech and expression]**

- There are fundamental differences between speech and expression.
- The Supreme Court has time and again defined the right to expression as the right to expression in a democratic nation.
- In various judgments of the Nation Supreme Court **as :-** Freedom of the press

राष्ट्रगान की स्वतंत्रता

- राष्ट्रगान गान अनुच्छेद- 19 का भाग है।
- Supreme Court ने राष्ट्रगान मे चुप रहने या शांत - रहने के अधिकार को अनुच्छेद-19(1)(a) के अंतर्गत माना (इमैनुएल बनाम केरल सरकार 1985) के मामले में।
- Supreme Court ने इसको नेशनल ऑनर Act 1971 का उल्लंघन नहीं माना।

राष्ट्रध्वज का प्राइवेट बिल्डिंग पर प्रयोग !

- Supreme Court ने नवीन जिंदल बनाम भारत सरकार वाद / केस (2004) में private Building पर राष्ट्रध्वज का प्रयोग अनुच्छेद-19(1) (a) के अंतर्गत मौलिक अधिकार माना परन्तु ध्वज संहिता 2022 का उल्लंघन नहीं होना चाहिए !
- Supreme Court ने NOTA को अनुच्छेद-19(1)(a) के अंतर्गत माना !
- RTI (सूचना का अधिकार) अनुच्छेद - 19 (1)(a)

Freedom Of National Anthem

- The national anthem is part of Article 19.
- The Supreme Court held the right to silence or silence in the national anthem under Article 19(1)(a) (Emmanuel v. Government of Kerala 1985).
- The Supreme Court did not consider it a violation of the National Honor Act 1971.

Use of national flag on private buildings !

- The Supreme Court has dismissed Naveen Jindal v. Government of India case. In the case (2004), the use of the national flag on a private building was considered a fundamental right under Article 19(1)(a), but the Flag Code 2022 should not be violated.
- The Supreme Court considered NOTA under Article 19(1)(a).
- RTI (Right to Information) Article - 19(1)(a).

Article	Topic	निर्बधन
19(1) (a)	भाषण और अभिव्यक्ति	19 (2)
19 (1) (b)	सभा करने की स्वतंत्रता	19 (3)
19 (1) (c)	संघ / संगठन बनाने की स्वतंत्रता	19 (4)
19 (1) (d)	भ्रमण करने की स्वतंत्रता	19 (5)
19 (1) (e)	निवास करने की स्वतंत्रता	19 (5)
19 (1)(g)	व्यवसाय करने की स्वतंत्रता 19(6)	19 (6)

Article	Topic	निर्बंधन
19(1) (a)	Speech and Expression	19 (2)
19 (1) (b)	Freedom of assembly	19 (3)
19 (1) (c)	Association/ Freedom to form an organization	19 (4)
19 (1) (d)	Freedom to travel	19 (5)
19 (1) (e)	Freedom to reside	19 (5)
19 (1) (g)	Freedom to do Business	19 (6)

- अनुच्छेद-19 (2) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर निबंधन लगाए जा सकते है जो निम्नलिखित है
  - S - संप्रभुता (Soverigінty)
  - I - अखण्डता (Integrity)
  - P - लोक- व्यवस्था (Public- Order)
- राज्य की सुरक्षा विदेशी राज्य के साथ मैत्री पूर्ण संबंध

राष्ट्रगान की स्वतंत्रता

- शिष्टाचार या सदाचार
- इसके अंतर्गत राज्य ऐसी अभिव्यक्तियों पर रोक लगा सकता है जो अश्लील (obscence of indecent) प्रकृति की हैं
- न्यायालय की अवमानना (contempt of Court).

- Under Article 19(2), restrictions can be imposed on freedom of expression, which are as follows:
  - ✓ S - संप्रभुता (Soverigínty)
  - ✓ I - अखण्डता (Integrity)
  - ✓ P - लोक- व्यवस्था (Public- Order)
- Security of the State Friendly relations with the foreign state

Etiquette or virtue

- Under this, the state can ban such expressions which are obscenic of indecent in nature.
- Contempt of Court.

Article - 19 (1) (b) - **शांतिपूर्वक और निरायुध (Without Arniy) सम्मेलन का अधिकार !**

- भारत के सभी नागरिकों को शांतिपूर्वक बिना हथियार के सम्मेलन करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है।
- सम्मेलन के अधिकार में सभा आयोजन करना, जूलूस निकालना, प्रदर्शन करना ये सभी शामिल है ।
- अनुच्छेद - 19 (3) के तहत निबंधन लगाया गया है जिसमें संप्रभुता, अखण्डता, लोक-व्यवस्था के आधार पर पाबंदी लगायी जा सकती है।21

Article - 19 (1) (c) - **संगम संघ या सहकारी समिति बनाने का अधिकार !**

- 97 वे संविधान संशोधन 2011 के माध्यम से सहकारी समिति बनाने का अधिकार जोड़ा गया !
- इसके अंतर्गत मजदूर संगठन, दबाव समूह, राजनीतिक दल इत्यादि !
- अनुच्छेद - 19(4) में संघ संगम बनाने के अधिकार पर निर्बंधन लगाया जाता है !
- **जैसे :-** लोकव्यवस्था सदाचार संप्रभुता एवं अखण्डता

Article - 19 (1) (b) - **The right to peaceful and unarmed convention!**

- Provides freedom to all citizens of India to peacefully hold conventions without arms.
- The right of the conference includes organizing meetings, processions, demonstrations.
- A clause has been imposed under Article 19 (3) in which restrictions can be imposed on the grounds of sovereignty, integrity, public order.

Article - 19 (1) (c) - **Right to form a union or co-operative society!**

- The right to form a co-operative society was added through the 97th Constitution Amendment 2011.
- Under this, labor organizations, pressure groups, political parties, etc.
- Article 19(4) restricts the right to form a Union Sangam.

Such as:- Public order, morality, sovereignty and integrity.

Article - 19 (1) (d) - **भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाद संचरण का अधिकार !**

- कोई भी नागरिक भारत की सीमा के अंतर्गत बिना बाधा के संचरण कर सकता है यह अधिकार सिर्फ देश के अंदर संचरण का अधिकार देता है!
- इस अधिकार पर अनुच्छेद-19(5) के तहत निर्बंधन लगाया जा सकते है !
- साधारण जनता के हित के आधार पर
  - ✓ अनुसूचित जाति जनजाति के हित के आधार पर
  - ✓ वेश्यावृति के संचरण पर
  - ✓ COVID प्रभावित व्यक्ति के संचरण पर रोक
  - ✓ महामारी में संचरण पर रोक !
  - ✓ AIDS प्रभावित व्यक्ति पर निर्बंधन नहीं लगाया जा सकता

Article - 19 (1) (d) - **Right to unsettled movement everywhere in the territory of India!**

- Any citizen can communicate without any hindrance within the border of India, this right only gives the right to travel within the country!
- This right can be restricted under Article 19(5).
- Based on the interest of the general public
  - ✓ Based on the interest of Scheduled Castes and Scheduled Tribes
  - ✓ On the transmission of prostitution
  - ✓ Ban on transmission of COVID-affected person
  - ✓ Stop transmission in the epidemic!
  - ✓ Restrictions cannot be imposed on an AIDS-affected person

Article - 19 (1) (e) - **भारत में किसी नागरिक को भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने / वसने का अधिकार**

- इस अधिकार पर अनुच्छेद - 19 (5) में निर्बंधन पाबंदी लगायी जा सकती हैं।
- **जैसे:-** साधारण जनता के हित में।

  अनुसूचित जाति/जनजाति के हित में।

Article - 19 (1) (f)

- यह संपत्ति का अधिकार पा सरकार ने 44वे संविधान संशोधन 1998 के द्वारा के माध्यम से मूल अधिकार से हरा दिया।
- वर्तमान में यह अनुच्छेद- 301 (A) के अंतर्गत एक कानूनी अधिकार है।

Article - 19 (1) (e) - **A citizen in India shall be required to reside/reside in any part of the territory of India. Right to live**

- This right can be restricted by article 19(5).
- **as:-** In the interest of the general public.

  In the interest of SC/ST.

Article - 19 (1) (f)

- This right to property was defeated by the Fundamental Right by the Government through the 44th Constitutional Amendment 1998.
- It is currently a legal right under Article 301(A).

Article - 19 (1) (g)

- किसी भी नागरिक का कोई भी व्यवसाय उपजीविका व्यापार कारोबार करने का अधिकार है।
- नागरिकों को अपनी आजीविका चलाने के लिए ये सारे अधिकार दिए गए है।
- अनुच्छेद 19(6) में इस अधिकार के युक्त-शुक्र निर्वाचन लगाए गए हैं।
  - ✓ साधारण जनता के हित से जुड़े निर्बंधन। ege Campus. Mus
  - ✓ किसी वृत्ति या व्यापार के लिए तकनीकि अर्हताएँ निर्धारित करना।
  - ✓ नागरिकों को किसी व्यापार या कारोबार से इसलिए वर्णित कर देता क्योंकि राज्य किसी व्यवसाय पर एकाधिकार करना।

Article - 19 (1) (g)

- Any citizen has the right to carry on any occupation, livelihood business.
- Citizens have been given all these rights to run their livelihood.
- Article 19(6) provides for the exercise of this right.
  - ✓ Restrictions related to the interest of the general public
  - ✓ Determine technical qualifications for a profession or business.
  - ✓ Describes citizens as a trade or business because the state monopolizes a business.

Article - 20
अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण

Article - 20 (1) - "भूत लक्षी विधि से संरक्षण {Protection from Expost Facto-Law tion from}

- कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए उतनी ही सजा का हकदार होगा जितनी सजा उस समय निर्धारित की गई है।
- यह कानून सिर्फ फौजदारी पर लागू होगा।
- दिवानी मामलों में भूत-लक्षी विधि से लागू की जा सकती है।

Article - 20 (2) - दोहड़े दंड से संरक्षण {Protection from double jeopardy}

- किसी एक व्यक्ति को किसी एक ही अपराध के लिए दो बार सजा नहीं दी जाएगी।

Article - 20 (3) - स्वयं के विरुद्ध गवाही देने से संरक्षण {Protection from self-incrimination}

- किसी व्यक्ति को स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा।

Article – 20 || Protection in respect of conviction for offences

Article - 20 (1) - "भूत लक्षी विधि से संरक्षण {Protection from Expost Facto-Law tion from}

- A person shall be entitled to the same punishment for an offence as has been prescribed at that time.
- This law will apply only to criminality.
- Can be applied in civil cases by ghost-targeting method.

Article - 20 (2) - दोहड़े दंड से संरक्षण {Protection from double jeopardy}

- No single person will be punished twice for the same offence.

Article - 20 (3) - स्वयं के विरुद्ध गवाही देने से संरक्षण {Protection from self-incrimination}

- No person shall be compelled to testify against himself.

Most Trusted Learning Platform
KHAN SIR

कर्नाटक राज्य बनाम सेल्नी (2010)

- Supreme court ने कहा नार्को टेस्ट, जीन प्रिंटिंग, पानी ग्राफ से करना गलत है।
- Supreme Court ने कहा DNA प्रिंटिंग प्रिंट करना गलत नहीं है।

Article - 21
जीवन का अधिकार

प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण || Protection to life and Personal Liberty.

- किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से सिर्फ विधि द्वारा स्थापित से ही वंचित किया जा सकता है।

Most Trusted Learning Platform KHAN SIR

कर्नाटक राज्य बनाम सेल्वी (2010)

- Supreme Court says it is wrong to do nasal test, gene printing, water graph.
- Supreme Court says printing DNA printing is not wrong.

Article - 21
जीवन का अधिकार

प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण || Protection to life and Personal Liberty.

- Any person can be deprived of his life and personal liberty only by law.

विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया (Procedure Established by law)

- जापान से लिया गया है।
- बिट्रेन का सिद्धांत है।
- कानून की प्रक्रिया पर ध्यान दिया जाता है, कानून पर नहीं।

विधि की सम्यक (उचित) प्रक्रिया (Due Process of laws)

- अमेरिका से लिया गया है।
- कानून पर ध्यान दिया जाता है, प्रक्रिया के साथ।

ए. के गोपालन बनाम मद्रास राज्य वाद/ केस (1950)

- ए. के. गोपालन वाद 1950 में Supreme Court ने निवारक निरोध अधिनियम 1950 को सही माना।
- विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत माना। (ऐ० के० गोपालन - समाजवादी, मार्क्सवादी)
- विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत विधायिका जीवन के अधिकार के विरुद्ध बना सकती है। कार्यपालिका को यह अधिकार नहीं हैं।

(Procedure Established by law)	(Due Process of laws)
• Taken from Japan • Bitrain's theory is • Attention is paid to the process of law, not to the law.	• Taken from America. • Attention is paid to the law, with procedure.

A. K. Gopalan v. State of Madras Case (1950)

- In the A.K. Gopalan case 1950, the Supreme Court upheld the Preventive Detention Act 1950.
- Considered under procedure established by law. (A. K. Gopalan - Socialist, Marxist)
- Under the procedure established by law, the legislature can make it against the right to life. The executive does not have that right.

मेनका गांधी बनाम भारत सरकार वाद / केस (1978)

- Supreme Court ने विदेश जाने का अधिकार अनुच्छेद-22 के अंतर्गत बताया।
- विधायिका कार्य पालिका दोनों ही जीवन के किसी को वंचित नहीं कर सकती है ! L
- अनुच्छेद - 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से व्यक्ति को Just fair & Reasonable (IFR) विधि माध्यम से ही वंचित किया जा सकता है। अनुच्छेद-14 और अनुच्छेद-19 को ध्यान में रखते हुए।
- मेनका गांधी वाद केस से अनुच्छेद 21 के तहत - विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और विधि की उचित प्रक्रिया दोनों का वर्णन है।

- **मरने का अधिकार :**
  - ✓ अधित्याग का सिद्धांत -

    मौलिक अधिकारों के संदर्भ में अधित्याग का सिद्धांत प्रदान नहीं किया गया अर्थात् आप मौलिक अधिकारों का त्याग नहीं सकतें।

Maneka Gandhi vs Government of India Case (1978)

- The Supreme Court said that the right to go abroad is under Article 22.
- The legislature, the executive cannot deprive anyone of both lives.
- Under Article 21, life and personal liberty can be deprived to a person only through Just Fair & Reasonable (JFR) law. Keeping in mind Article-14 and Article-19.
- Under Article 21 from the Maneka Gandhi case - there is a description of both the procedure established by law and the due process of law.

- **The right to die :**
  - ✓ Principle of renunciation -

    The principle of renunciation has not been provided in the context of fundamental rights, that is, you cannot renounce the fundamental rights.

अरुणा शानबाग वाद / केस (2011)

- Supreme Court ने भारत में निषक्रिय इच्छा मृत्यु को वैध माना। सक्रिय इच्छा मृत्यु को वैध माना।
- **निषक्रिय इच्छा मृत्यु :** किसी व्यक्ति को बिना जहर दिए स्वत: मर जाना।
- **सक्रिय इच्छा मृत्यु :** किसी व्यक्ति को जहर देकर मार देना ! जैसे:- वेल्जियम, नीदरलैंड, आदि मे वैध है।

- **Supreme Court के द्वारा अनुच्छेद-21 की व्याख्या**
  - गरिमाय- जीवन का अधिकार - **मानव जीवन**
  - त्वरित सुनवाई का अधिकार - **हुसैन आरा खातुन वाद 1999**
  - स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार - **M.C. मेहता वाद 2019**
  - यौन उत्पीड़न कार्य स्थल पर यौन शोषण - **विशाखा बनाम भारत संघ बाद / केस 1997**
  - एकांत का अधिकार - **पुट्टा स्वामी वाद / केस 2017**

Aruna Shanbaug controversy/Case (2011)

- The Supreme Court held passive euthanasia legal in India. Considering active euthanasia as legal.
- **Inactive euthanasia :** To die automatically without poisoning someone.
- **Active euthanasia :** To kill someone by poisoning them! For example: - Legal in Belgium, Netherlands, etc.

• Interpretation of Article-21 by the Supreme Court

- Dignity - the right to life - **Human Life**
- Right to speedy trial - **Hussain Ara Khatun Case 1999**
- The right to a clean environment - **M.C. Mehta Case 2019**
- Sexual harassment at workplace - **Vishakha vs Union of India Case 1997**
- Right to privacy - **Putta Swami Case Case 2017**

परमानंद कटारा वाद / केस

- स्वास्थ का अधिकार !
  - बच्चा पैदा कराना !
- Gay and Marriage, Lesbian Marriage and Love Marriage.

शिक्षा का अधिकार अधिकार

- 86 वें संसोधन 2002 के माध्यम से 2002 में अनुच्छेद - 21 (A) मौलिक अधिकार बना दिया गया, जिसमे 6-14 वर्ष के बच्चें को compulsory शिक्षा का प्रावधान है मुफ्त एवं
- शिक्षा का अधिकार Act 2009 में बना 1st April 2010 से लागू किया गया।

Parmanand Katara Controversy hair

- Right to Health.
  - ↳ Having a baby.
- Gay and Marriage, Lesbian Marriage and Love Marriage.

Right to Education

- Article 21(A) was made a fundamental right in 2002 through the 86th Amendment 2002, which provides for free and compulsory education to children of 6-14 years.
- The Right to Education Act was enacted in 2009 and came into force on April 1, 2010.

Most Trusted Learning Platform
KHAN SIR

Article - 22
कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण

- अनुच्छेद-22 के अंतर्गत दंडात्मक एवं निवारक दोनों प्रकार के प्रावधान हैं!
  - ✓ दंडात्मक - जुर्म के बाद
  - ✓ निवारक जुर्म के पहले

Article - 22 (1) (A)

- गिरफ्तारी का कारण
- वकील रखने का अधिकार
- गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने का अधिकार
- **निवारक निरोध (Preventive Detention) -**

  गिरफ्तारी का कारण नहीं बताया जाता है, 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं करते हैं

Most Trusted Learning Platform
KHAN SIR

Article - 22
Protection Against Arrest and Detention

- There are both penal and preventive provisions under Article 22.
  - ✓ Punitive - after the crime
  - ✓ Before preventive crime

Article - 22 (1) (A)

- Reason for arrest
- The right to have a lawyer
- Right to appear before a magistrate within 24 hours of arrest
- **Preventive Detention -** The reason for the arrest is not stated, do not appear before the magistrate in 24 hours

Article - 22 (7)

- **निवारक नजरबंदी -**
  - ✓ 3 महिनें से अधिक गिरफ्तारी में नहीं रखा जाएगा
  - ✓ न्यायधीशों का सलाहकारी बोर्ड 3 महिनें से अधिक के लिए अनुमति दे सकता है
- **निवारक निरोध अधिनियम - (1950)**
  - ✓ *इस कानून को 1 April 1951 को रद्द कर दिया गया*
- **आंतरिक सुरक्षा अधिनियम (MISA- Maintenance of Internal Security Act 1971)**
  - ✓ **इस कानून को जनता पार्टी की सरकार ने निरस्त कर दिया*
- **विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम (1971)**
- **आतंकवादी एवं विध्वंसक गतिविधियाँ (निवारक) अधिनियम (1987) (TADA- Terrorist and Disruptive Activities Prevention Act- 1987) -** *इस कानून को 1990 में रद्द कर दिया गया*

'

Article - 22 (7)

- **Preventive detention -**
  - ✓ Will not be kept in arrest for more than 3 months
  - ✓ The Advisory Board of Judges may grant permission for more than 3 months
- **Preventive Detention Act - (1950)**
  - ✓ *This law was repealed on April 1, 1951.*
- **Internal Security Act (MISA- Maintenance of Internal Security Act 1971)**
  - ✓ *This law was repealed by the Janata Party government*
- **Foreign Exchange Protection and Prevention of Smuggling Act (1971)**
- **Terrorist and Disruptive Activities (Prevention) Act (1987) (TADA- Terrorist and Disruptive Activities Prevention Act- 1987) -** *This law was repealed in 1990.*

Article - 22 (7)

- **आतंकवाद निवारक अधिनियम – 2002**
  - ✓ वर्तमान में यह कानून भारत में लागू नहीं हैं
- **गैर - कानूनी गतिविधियाँ (निवारण) अधिनियम 2008**

MISA	**1971**
TADA	**1986 (1987 में लागू)**
POTA	**2002**
NSA	**1980**

शोषण के विरुद्ध अधिकार - (Article - 23-24)

Article - 23 - मानव दुर्व्यापार और बलात श्रम के विरुद्ध अधिकार

Article – 23 (1)

- अनुच्छेद-23(1) के अंतर्गत मानव की खरीद-फरोल, दास प्रथा, देवदासी प्रथा, आदि मानव दुर्व्यापार के अंतर्गत अवैध हैं।
- **बलात श्रम :-**
  - ✓ इसके अंतर्गत बल पूर्वक कार्य कराना, बिना मर्जी के कार्य कराना, कम पैसे देकर कार्य कराना, बंधुआ मजदूरी कराना, आदि आते है।

    * न्यूनतम् मजदूरी अधिनियम 1948 * Contract Labour Act 1970

    * अनैतिक दुर्व्यापार अधिनियम 1956 * बंधुआ मजदूरी प्रणाली अधिनियम 1976

शोषण के विरुद्ध अधिकार - (Article - 23-24)

Article - 23 - Right Against Human trafficking and forced labour

Article - 23 (1)

- Under Article 23(1), human trafficking, slave trade, devadasi practice, etc. are illegal under human trafficking.
- **Forced labour :-**
  - ✓ This includes forced work, work without will, work with less money, forced labor, etc.

    *Minimum Wages Act 1948 * Contract Labour Act 1970

    * Immoral Trafficking Act 1956 * Bonded Labour System Act 1976

Article - 23 (2)

- राज्य सार्वजनिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए अनिवार्य सेवा करा सकता है परन्तु राज्य जाति, धर्म, वर्ग के आधार पर भेद-भाव नहीं करेगा।

Article - 24

- कारखानों आदि में बालकों के नियोजन पर प्रतिबंध ।
- 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे से कारखानों में खतरनाक कार्य नहीं कराया जाएगा ।
- संसद ने Child Labour Act 1986 बनाया जिसमें 2016 में संशोधन किया गया और वर्तमान में –
  - ✓ 0-14 वर्ष का बालक कोई कार्य नहीं करेगा ।
  - ✓ 14-18 वर्ष का किशोर कोई भी खतरनाक कार्य नहीं करेगा ।
  - ✓ 18+ के युवा कोई भी कार्य कर सकता है।

Article - 23 (2)

- The State may render essential service for the fulfillment of public purpose, but the State shall not discriminate on the basis of caste, religion, class.

Article - 24

- Ban on employment of children in factories etc.
- Children below 14 years of age will not be made to do hazardous work in factories.
- Parliament enacted the Child Labour Act 1986 which was amended in 2016 and currently –
  - ✓ A child from 0-14 years will not do any work.
  - ✓ A 14–18-year-old will not do any dangerous work.
  - ✓ Youngsters of 18+ can do any task.

M.C. मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य (1997)

- Supreme Court ने पुनर्वास कोष की स्थापना बराबरी का वेतन जैसे निर्णय दिए।

धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार (Article - 25-28)

Article - 25 - मानव दुर्व्यापार और बलात श्रम के विरुद्ध अधिकार

- धर्म के अंत: करण मानने, आचरण करने, करने, प्रचार करने का अधिकार BAL GLOT अधिकार

Article 25 (1)

- अनुच्छेद-25 में प्राप्त स्वतंत्रताओं पर लोक व्यवस्था सदाचार और स्वास्थ के आधार पर रोक लगी।
- राज्य धार्मिक आचरण, पंथ निरपेक्षता गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए नियम बना सकता है।
- इसके अंतर्गत सती प्रथा जैसी कुरीतियों पर पाबंदी लगायी गई।
- **सायराबानो बेगम केस / वाद (2017) - इस केस / वाद में Supreme Court ने तीन तलाक को अवैध घोषित कर दिया !**

Most Trusted Learning Platform
KHAN SIR

M.C. Mehta v. State of Tamil Nadu (1997)

- The Supreme Court gave decisions like setting up of rehabilitation fund, equal pay.

Right to religious freedom (Article - 25-28)

Article - 25 - **Rights against human trafficking and forced labour**

- Right to profess, practice, propagate at the heart of religion BAL GLOT Right

Article 25 (1)

- The freedoms guaranteed in Article 25 were restricted on the grounds of public order, morality and health.
- The state can make rules to control religious conduct, secularization activities.
- Under this, evils like Sati Pratha were banned.
- **Saira Banu Begum Case Suit (2017) - This case/case Supreme Court declares triple talaq illegal.**

Most Trusted Learning Platform
KHAN SIR

Article - 25 (2)

- हिन्दू धर्म की संस्थाएँ सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए सभी वर्गों के लिए खुलेगी।
- सिख धर्म में कृपाण धारण करना धार्मिक आचरण है कृपाण की लम्बाई 9 inch से अधिक न हो।

Article – 26 : धार्मिक कार्यों के प्रबंधन का अधिकार

- यह अधिकार व्यक्ति और नागरिकों को प्राप्त नहीं है।
- यह अधिकार धार्मिक संप्रदायों को प्रदान किया जाता था है।
- Supreme Court ने 1982 मे धार्मिक संप्रदाय की परिभाषा दी जिसमें
- समान धर्म में विश्वास करने वाले।
  - ✓ सामान्य उद्देश्य संगठन
  - ✓ विशिष्ठ नाम
  - ✓ वाले समूह संगठन को धार्मिक संप्रदाय कहा गया। **जैसे :-** रामकृष्ण मिशन, आनंद मार्ग

Article - 25 (2)

- The institutions of Hindu religion will be open to all sections for social welfare and reform.
- In Sikhism, wearing a kirpan is a religious practice, the length of the kirpan should not exceed 9 inches.

Article – 26 : Right to Manage Religious Affairs

- This right is not available to individuals and citizens.
- This right is granted to religious denominations.
- The Supreme Court in 1982 defined a religious denomination -
  - ✓ Those who believe in the same religion.
  - ✓ General Purpose Organization
  - ✓ The group organization with a specific name was called a religious sect.

  Such as:- Ramakrishna Mission, Anand Marg

सबरीमाला मंदिर वाद / केस (2018)

- केरल के सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश की अनुमति Supreme Court ने प्रदान कर दी और सबरीमाला मंदिर के धार्मिक संप्रदाय के रूप में स्वीकार नहीं किया।

Article – 27 : धार्मिक कर (Tax) न देने की स्वतंत्रता

- अनुच्छेद - 27 में सभी प्रकार के कर जैसे- जर्जिया, जकात आदि छूट प्रदान की गई है।
- शुल्क सुविधा के लिए दिया जाता है।
- कर (Tax) compulsory प्रावधान है।

Article – 28 : शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा का प्रावधान

- राज्य द्वारा पूर्णत: वित्तपोषित संस्थाएँ - **धार्मिक शिक्षा नहीं**
- राज्य से अंशत: वित्तिय सहायता प्राप्त करने वाली संस्थाएँ - **धार्मिक शिक्षा दी जाती सकती है।**

Sabarimala temple dispute Case (2018)

- The Supreme Court has allowed the entry of women into the Sabarimala temple in Kerala and did not accept the Sabarimala temple as a religious sect.

Article – 27 : Freedom not to pay religious taxes

- Article 27 exempts all types of taxes such as Georgia, Zakat, etc.
- Fee is paid for Services
- Tax is a compulsory provision।

Article – 28 : Provision of religious education in educational institutions

- Institutions fully financed by the State - **No religious education**
- Institutions receiving partial financial assistance from the State - **Religious education can be given.**

Article – 28 : शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा का प्रावधान

- राज्य द्वारा पूर्णत: वित्तपोषित संस्थाएँ - **धार्मिक शिक्षा नहीं**
- राज्य से अंशत: वित्तिय सहायता प्राप्त करने वाली संस्थाएँ - **धार्मिक शिक्षा दी जाती सकती है।**
- राज्य से मान्यता प्राप्त संस्थाएँ - **धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है।**
- ऐसी संस्थाएँ जो राज्य द्वारा प्रशासित हो किन्तु जिनकी स्थापना किसी धार्मिक न्यास (Trust) आदि के अधीन हुई हो धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है।
- **अरुणाराय वाद / केस 2002**

  इस केस बाद में Supreme Court ने National Curriculum framework में सभी धर्मों के शिक्षा के बारे में प्रावधान करने का आदेश दिया न की किसी एक धर्म का।

'शिक्षा एवं संस्कृति' का अधिकार (Article- 29-30)

Article - 29
'अल्पसंख्यकों का संरक्षण

सबरीमाला मंदिर वाद / केस (2018)

- भारत में निवास करने वाले भारतीय नागरिकों को भाषा, लिपि, संस्कृति के संरक्षण का अधिकार प्राप्त होगा।
- भारत के संविधान में अल्पसंख्यों को परिभाषित नहीं किया गया है।
- भारत में दो आधार पर अल्पसंख्यक का निर्धारण है –
  1. भाषायी
  2. धार्मिक

Right to 'Education and Culture' (Article- 29-30)

Article - 29
'Protection of minorities

Sabarimala temple dispute hair (2018)

- Indian citizens residing in India will have the right to preserve language, script, culture.
- Minorities are not defined in the Constitution of India
- There are two grounds for determining minority in India. –
  1. भाषायी/linguistic
  2. धार्मिक/religious

टी० एम० पाई वाद/केस/T.M. Pai Case/Case (2002)

- इस केस मे Supreme Court ने अल्पसंख्मों के संबंध में परिभाषा दी जिसकी जनसंख्या 50% से कम है। वो अल्पसंख्यक है इस आधार पर भारत मे 6 धर्म मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, और जैन धर्म के लोग अल्पसंख्यक है।/In this case, the Supreme Court gave a definition in relation to minorities whose population is less than 50%. On this basis, people of 6 religions Muslim, Sikh, Christian, Buddhist, Parsi, and Jain religion are minorities in India.
- जैन धर्म को 2014 में जोड़ा गया।/Jainism was added in 2014.
- **NOTE :-**
  - ✓ विश्व संयुक्त राष्ट्र अल्पसंख्यक घोषणा पत्र के माध्यम से अल्पसंख्यकों का निर्धारण होता है।/The determination of minorities is done through the World United Nations Declaration of Minorities.

Article - 29 (2)

- राज्य द्वारा पोषित किसी शिक्षण संस्थान में प्रवेश में राज्य किसी भी नागरिक के साथ केवल धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा के आधार पर भेद-भाव नहीं करेगा !/The State shall not discriminate against any citizen on the basis of religion, race, caste, language in admission to any educational institution funded by the State.
- **NOTE :-**
  - लिंग के आधार पर राज्य भेद-भाव कर सकता है जैसे/The state may discriminate on the basis of gender such as:- Girls college, Boys college.

Article – 30 : अल्पसंख्यक वर्ग को अपनी रूची की शिक्षण संस्था की स्थापना और का अधिकार ! /The minority community has the right to establish and establish an educational institution of their interest!

- प्रशासन में फीस का निर्धारण अल्पसंख्यक समूह का 80-90% staff का चयन स्वयं करने का अधिकार है /The minority group has the right to select 80-90% of the staff on its own to determine the fees in the administration

Article – 31 : संपत्ति का अधिकार/Right to Property

संपत्ति का अधिकार संविधान के प्रारंभ में मौलिक अधिकार था परन्तु प्रथम संविधान संशोधन के माध्यम से संपत्ति के अधिकार को नियंत्रित कर दिया गया

Article-31 (A)

- राज्य संपत्ति का अधिग्रहण कर सकता है

Article-31 (B)

- इसमे 9वी अनुसूची जोड़ी गई इन विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती
- 44 वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम् से संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद- 300 (A) के तहत कानूनी अधिकार (Legal Rights) या संविधिक अधिकार बना
- **NOTE :-** ***कामेश्वर सिंह वाद / केस -(बिहार) || शंकरी प्रसाद वाद / केस (1951)***

Article – 31 : संपत्ति का अधिकार/Right to Property

The right to property was a fundamental right at the beginning of the Constitution, but through the first constitutional amendment, the right to property was controlled.

Article-31 (A)

- The state can acquire property.

Article-31 (B)

- These subjects added to the 9th Schedule cannot be challenged in the court of law.
- Through the 44th Constitutional Amendment 1978, the right to property became a legal right or statutory right under Article 300 (A).
- **NOTE :-** ***Kameshwar Singh Case -(Bihar) || Shankari Prasad Controversy Case (1951)***

Article – 32 : संविधानिक उपचारों का अधिकार /Right to Constitutional Remedies.

- अनुच्छेद- 32 को Dr. B. R. Ambedkar ने संविधान की आत्मा कहा !
- इसे बिट्रेन से लिया गया था !

Article-32 (1)

- Supreme Court याचिका जारी करेगा

Article-32 (2)

- इसमें 5 प्रकार रिट है इसको न्याय का झरना कहते है !
- अनुच्छेद 32 के अंतर्गत 5 प्रकार की याचिका.

1. बंदी प्रत्यक्षीकरण 2. परमादेश
3. अधिकार पृच्छा 4. प्रतिवेध 5. उत्प्रेक्षण

Article – 32 : संविधानिक उपचारों का अधिकार /Right to Constitutional Remedies.

- Article 32 was called the soul of the Constitution by Dr. B.R. Ambedkar.
- It was taken from Bitrain!

Article-32 (1)

- The Supreme Court will issue a petition

Article-32 (2)

- There are 5 types of writ in it, it is called the waterfall of justice!
- 5 types of petitions under Article 32.
- 1. habeas corpu 2. writ of mandamus
  3. Quo Warranto 4. Prohibition 5. Certiorari

बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeous Corpus)

- इसका शाब्दिक अर्थ है सशरीर पेश करना (Bring the body)
- इस रिट की पुलिस की अवैध गिरफ्तारी 24 घंटे में किसी व्यक्ति को न पेश होने, व्यक्ति को बंदी बनाये जाने पर प्रयोग किया गया जाता है।
- **NOTE :-**

  यह याचिका व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए है।

परमादेश (Mandmus)

- इस रिट का शाब्दिक अर्थ है हम आदेश देते है (We Command).
- इस याचिका को सरकारी सार्वजनिक पद के खिलाफ जारी किया जाता है!
- राष्ट्रपति एवं राज्यपाल के विरुद्ध नहीं!

बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeous Corpus)

- It literally means bringing the body.
- This writ is used by the police to make illegal arrests if a person does not appear within 24 hours, the person is detained.
- **NOTE :-**

  This petition is for personal liberty.

परमादेश (Mandmus)

- This writ literally means we command.
- This petition is issued against the government public office!
- Not against the President and the Governor!

अधिकार पृच्छा (Quo Warranto)

- इस रिट का शाब्दिक अर्थ है किस अधिकार से (What Authority).
- इस याचिका का प्रयोग किसी सार्वजनिक पद पर बैठे व्यक्ति की वैधानिकता की जाँच करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है।
  - ✓ निजी व्यक्ति के खिलाफ नहीं!
  - ✓ जजों के खिलाफ नहीं !

प्रतिषेध (Prohibition)

- उच्च न्यायलय यानि ऊपर के न्यायलय नीचे के न्यायालय के विरुद्ध जारी करता है इसका अर्थ होता है रोक देना (Just stop).

अधिकार पृच्छा (Quo Warranto)

- This writ literally means what authority.
- This petition is used to check the legality of a person holding a public office.
  - ✓ Not against a private person!
  - ✓ Not against the judges.

प्रतिषेध (Prohibition)

- The high court i.e., the higher court issues against the lower court, it means just stop.

उत्प्रेक्षण (Certiorari)

- इस याचिका को भी उच्च न्यायलय निम्न न्यायलय के विरुद्ध जारी करता है और मामले को रोक कर अपने पास बुलाता है (stop and send to me).
- * उच्च न्यायलय की शक्ति याचिका जारी करने में सर्वोच्च न्यायलय से अधिक है क्यों ?
- सर्वोच्च न्यायलय सिर्फ मौलिक अधिकारों के विरुद्ध याचिका जारी करता है जबकि उच्च न्यायलय मौलिक अधिकार और अन्य अधिकारों के खिलाफ जारी कर सकता है।
- सर्वोच्च न्यायलय अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है जबकि अनुच्छेद-226 के तहत उच्च न्यायलय 6 प्रकार की रिट जारी कर सकता है छठी रिट का नाम है अंतरिम राहत (Injunction). I !

उत्प्रेक्षण (Certiorari)

- This petition is also issued by the High Court against the lower court and the case is stopped and called to it (stop and send to me).
- * Why is the power of the High Court greater than that of the Supreme Court in issuing petitions?
- The Supreme Court issues petitions only against fundamental rights while the High Court can issue against fundamental rights and other rights.
- The Supreme Court can issue 5 types of writs under Article 32 while the High Court can issue 6 types of writs under Article 226.

Article-33

- संसद को सैन्य बल, लोक व्यवस्था बनाने वाले, अधिसूचना, RAW, IB से जुड़े लोगों के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करने का अधिकार है इसका कारण है अनुशासन बनाये रखना !/Parliament has the right to restrict the fundamental rights of people associated with the armed forces, public order makers, notifications, RAW, IB.

Article-34

- जिस क्षेत्र में सैन्य कानून (मार्शल लॉ) लागू हो उस क्षेत्र के लोगो के मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है/The fundamental rights of the people of the area where martial law is applicable can be banned.

  जैसे :- AFSPA (Armed Forces Special Power Act) नागालैंड, मणिपुर, J&K, असम आदि क्षेत्र में लागू/Applicable in Nagaland, Manipur, J&K, Assam etc.

Article-35

- मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति सिर्फ भारत की संसद के पास है राज्य विधान मंडल के पास नहीं है/The power to amend fundamental rights lies only with the Parliament of India and not with the State Legislature
- **NOTE :-** अनुच्छेद - 16 (3), 32 (3), 33, 34.